

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यव्य की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी, क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र. - 108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2010—श्रावण 15, शक 1932

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निवाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-642-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विवेक  
अग्रवाल, आय.ए.एस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सङ्केत विकास  
निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग  
को दिनांक 19 से 24 जुलाई 2010 तक, छ: दिन का अर्जित  
अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक  
17, 18 जुलाई 2010 एवं दिनांक 25 जुलाई 2010 का सार्वजनिक  
अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल को अस्थायी  
रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश

सङ्केत विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक  
निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन  
एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व  
मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल  
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. ई. 1-275-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में  
दर्शये भा.प्र.से. के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3)

में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता हैः—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री आशीष उपाध्याय (1989) आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश.
2	श्री राजीव रंजन (1989) पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत.	आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.
3	श्री संजीव सिंह (2005) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास) होशंगाबाद.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर,

(2) उपरोक्तानुसार श्री आशीष उपाध्याय, भा.प्र.से. (1989) द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भा.प्र.से. (1990) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश केवल आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। साथ ही आगामी आदेश तक श्री एस. एन. मिश्रा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नितेश कुमार व्यास, भा.प्र.से. (1996), संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) केवल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-814-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आय.ए.एस., अपर आयुक्त, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग, भोपाल को दिनांक 19 से 24 जुलाई 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर आयुक्त, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव,

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-462-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आय.ए.एस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 12 जून 2010 द्वारा दिनांक 22 से 24 जुलाई 2010 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षी. एस. तोमर, अवर सचिव,

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. एफ-13-7-2010-बारह-1.—राज्य सरकार, एतद्वारा, सहायक खनि अधिकारी के पदों को राजपत्रित पद घोषित करती है।

No. F-13-7-2010-XII-1.—The State Government, hereby, declares the posts of Assistant Mining Officer to be the Gazetted post.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. एफ-19-199-बारह-1.—मेसर्स तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा जिला बैतूल, छिन्दवाड़ा एवं होशंगाबाद के रामपुर-पंचमढ़ी-अनहोनी क्षेत्र में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेन्स

के तहत धारित 3537 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का परित्याग किया गया है। इस क्षेत्र को राज्य सरकार, एतद्वारा, खुला घोषित करती है। क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देक्षांश (3)
A	22° 30' 00"	77° 50' 00"
B	22° 30' 00"	78° 00' 00"
C	22° 35' 00"	78° 00' 00"
D	22° 35' 00"	78° 20' 00"
E	22° 40' 00"	78° 20' 00"
F	22° 40' 00"	78° 50' 00"
G	22° 25' 00"	78° 50' 00"
H	22° 25' 00"	78° 40' 00"
I	22° 20' 00"	78° 40' 00"
J	22° 20' 00"	78° 30' 00"
K	22° 15' 00"	78° 30' 00"
L	22° 15' 00"	77° 50' 00"

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा। उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म "खनिज भवन" 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. एफ-19-199-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 22 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव।

Bhopal, the 22nd July 2010

No. F-19-199-XII-1.—The State Government hereby declare throw open an area of 3537 Km<sup>2</sup> of Rampur-Pachmari-Anhoni area in Chindwara, Betul & Hoshangabad Districts which was previously held by M/s Oil & Natural Gas Corporation Limited under

Petroleum Exploration License, which has now been relinquished. Details of the area is as below:-

Point (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
A	22° 30' 00"	77° 50' 00"
B	22° 30' 00"	78° 00' 00"
C	22° 35' 00"	78° 00' 00"
D	22° 35' 00"	78° 20' 00"
E	22° 40' 00"	78° 20' 00"
F	22° 40' 00"	78° 50' 00"
G	22° 25' 00"	78° 50' 00"
H	22° 25' 00"	78° 40' 00"
I	22° 20' 00"	78° 40' 00"
J	22° 20' 00"	78° 30' 00"
K	22° 15' 00"	78° 30' 00"
L	22° 15' 00"	77° 50' 00"

The relinquished area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Area Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. एफ-1(एक) 210-96-ब-2-दो.—श्री ए. साई मनोहर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पु. मु. के आदेश क्रमांक 108-09, दिनांक 24 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2009 तक, कुल छ: दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 19, 20 तथा 27, 28 दिसम्बर 2009 के विज्ञ अवकाश के साथ स्वीकृत किया गया है।

2. श्री ए. साई मनोहर, भापुसे को दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2009 तक की अवधि में खण्ड वर्ष 2008-09 (विस्तार वर्ष 2010) में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ "हैदराबाद" जाने की कार्योंतर अनुमति दी जाती है:-

1. श्री ए. साई मनोहर — स्वयं
2. श्रीमती बिन्दु शर्मा — पत्नी
3. कु. साई दीपि — पुत्र

3. उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से छः दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा।

4. अवकाश से लौटने पर श्री ए. साई मनोहर, भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

5. अवकाशकाल में श्री ए. साई मनोहर, भाषुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. साई मनोहर, भाषुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजन कठोच, प्रमुख सचिव।

### वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. एफ-13-8-10-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 6 के वाष्ययंत्र क्रमांक एम.पी./3373 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सौ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 5 जून 2010 से 4 दिसम्बर 2010 तक, छः माह के लिये छूट देता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत कुमार व्यास, अपर सचिव।

### गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. एफ-31-3-2010-दो-ए(3).—राज्य शासन ब्रिगेडियर (से.नि.) जार्ज मथाई को संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर संविदा पर निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त करता है:—

- (i) संविदा नियुक्ति की अवधि कार्यभार करने के दिनांक से 2 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिये होगी।
- (ii) सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि में वेतन निर्धारण, सेना से मिलने वाले अंतिम वेतन में से, पेंशन जो छठवें वेतन आयोग के पश्चात पुनरीक्षित की गयी की राशि घटाकर निर्धारित किया जावेगा तथा इस प्रकार वेतन एवं पेंशन मिलाकर रुपये 80,000/- (रुपये अस्सी हजार) से अधिक नहीं होगा। सेना की पेंशन पृथक् से देय होगी।
- (iii) महंगाई भत्ता वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ बी-8-3-81-आर.-दो-चार, दिनांक 25 जून 1981 एवं समय-समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार देय होगा।
- (iv) दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- (v) शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थायी कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
- (vi) यात्रा भत्ते की पात्रता राज्य के यात्रा भत्ता नियम के अन्तर्गत होगी।

- (vii) शासकीय आवास उपलब्ध कराये जाने पर राज्य शासन के नियमानुसार किराया/लायसेंस फीस काटा जावेगा।
- (viii) अधिकारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे।
- (ix) अधिकारी को नियुक्ति के अवधि में अपने कार्यालय के वित्तीय मामलों एवं आपत्तियों का निराकरण करना होगा।
- (x) आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा एक माह की अवधि समाप्त पश्चात् यह आदेश स्वयमेव निरस्त समझा जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रहास दुबे, सचिव।

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2010

फा. क्र. 1(बी)-6-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा, श्री राधेश्याम समदानी पुत्र श्री बाबूलाल जी समदानी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिये अति. लोक अधियोजक, मनासा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)-41-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 नवम्बर 2004 द्वारा नियुक्त श्री रमेश मिश्रा, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अधियोजक, सतना के कार्यकाल में दिनांक 19 नवम्बर 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर 2011 तक वृद्धि करता है। यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)-41-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 नवम्बर 2004, 3 अगस्त 2007, 4 जुलाई 2007 एवं 23 जून 2007 द्वारा नियुक्त निम्न शास. अभिभाषक/ अति. शास. अभिभाषक/ लोक अधियोजक/ अति. लोक अधियोजक, सतना के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से

कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है। यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

- (1) श्री दिनेश श्रीवास्तव, शास. अभिभाषक/ लोक अधियोजक, सतना, दिनांक 19 नवम्बर, 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर, 2011 तक।
- (2) श्री ददनराम त्रिपाठी, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अधियोजक, सतना, दिनांक 19 नवम्बर, 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर, 2011 तक।
- (3) श्री उमेश कुमार शर्मा, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अधियोजक (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सतना, दिनांक 23 जून, 2008 से तीन वर्ष 22 जून, 2011 तक।
- (4) श्री राजमणि सिंह, अति. शास. अभि./ अति. लोक अधियोजक (फास्ट ट्रैक कोर्ट) तहसील अमरपाटन, जिला सतना, दिनांक 23 जून, 2008 से 22 जून, 2011 तक।
- (5) श्री सुशील कुमार त्रिपाठी, अति. शास. अभि./ अति. लोक अधियोजक, तहसील मैहर, जिला सतना, दिनांक 19 नवम्बर, 2005 से 18 नवम्बर, 2008 तदुपरान्त पुनः 3 वर्ष दिनांक 18 नवम्बर, 2011 तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव।

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2010

फा. क्र. 17(ई)-172-इक्कीस-ब(दो)-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, यह निदेश देते हैं कि मिशन संचालक, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (अर.सी.ए.च.)/ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, ग्वालियर में एम.बी.बी.एस./ बी.डी.एस. डाक्टरों, बी.एस.सी. नर्सिंग तथा मास्टर ऑफ सोशल वर्क के अध्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाट्यक्रम आयोजित करने के संबंध में पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से करार पर हस्ताक्षर करने तथा उसका निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव।

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2010

फा. क्र. 17(ई)-172-इक्कीस-ब(दो)-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसरण में, इस विभाग की

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2010

F. No. 17-E-172-XXI-B (II)-2010.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 299 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby directs that Mission Director, Reproductive and Child Health/ National Rural Health Mission, Madhya Pradesh is authorised to sign and execute the agreement with Public Health Foundation of India, New Delhi, in connection with organising the Post Graduate Diploma Course for the MBBS/ BDS doctors, B.Sc. Nursing and Master of Social Work candidates in the State Institute of Health Management and Communication, Gwalior.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. J. KHAN, Secy.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2010

फा. क्र. 17(ई)-231-2008-इक्कीस-ब (दो).— दिनांक 3 सितम्बर, 2008 द्वारा श्री लालमणि सिंह बघेल, अधिवक्ता, निवासी बजरंग कालोनी, तहसील नागौद, जिला सतना को तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु विविध याचिका क्रमांक 11122/2008 राजकिशोर चौधरी विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई, 2009 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा. क्र. 17(ई)-232-2008-इक्कीस-ब (दो).— दिनांक 3 सितम्बर, 2008 द्वारा श्री प्रभुदयाल पाण्डेय, अधिवक्ता, निवासी शास्त्री नगर, तहसील नागौद, जिला सतना को तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु विविध याचिका क्रमांक 11122/2008 राजकिशोर चौधरी विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई, 2009 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक

से तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

## परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्र. एफ-22-60-08-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम, 202 के उपनियम (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, उन सेवा प्रभारों को विनिर्दिष्ट करती है जो कि निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित की जा रही निम्नलिखित 24 जांच चौकियों पर, निम्नलिखित दरों पर, प्रति फेरा प्रति यान के आधार पर मध्यप्रदेश सङ्क विकास निगम द्वारा जारी किए जाने वाले, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाण-पत्र या अनन्ति पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के दिनांक से यान के स्वामी या चालक द्वारा वहन किए जाएँगे:—

### 1. 'डाटा एन्ट्री तथा तोलने' के लिए सेवा प्रभार—

अनुक्रमांक	यान का प्रकार	राशि (रूपयों में) (प्रति फेरा प्रतियान)
(1)	(2)	(3)
1.	हल्के वाणिज्यिक यान (ए.ल.सी.वी.)	20.00
2.	दो एक्सल ट्रक	40.00
3.	बहु एक्सल ट्रक	80.00

उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और जिसे पांच रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा। यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी।

2. माल लादने/ माल उतारने के लिए प्रभार.—माल लादने/ उतारने के लिए प्रभार रुपये 240 प्रति टन होगा जिसमें प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और जिसे दस रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा।

यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी। यह प्रभार केवल उन्हीं यानों से उद्गृहीत किया जाएगा जो मांग पर ऐसी सेवा का लाभ लेते हों।

## 3. पार्किंग प्रभार—

पार्किंग की अवधि	प्रभार (रुपयों में)	
	हल्के वाणिज्यिक यान	ट्रक/बहु एक्स्सल/अत्यधिक बड़े आकार के यान
(1)	(2)	(3)
प्रथम छह घंटे	निरंक	निरंक
छह घंटों से अधिक	20.00	30.00
अगले छह घंटों के स्लैब	50.00	75.00

उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और उसे पांच रुपयों के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा। यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी।

**टिप्पणी।**—उपरोक्त सेवा प्रभार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित निजी निवेशक या विकासकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संगृहीत किए जाएंगे।

## सीमा जांच चौकियों की सूची

अनु- क्रमांक	सड़कों के ब्यौरे	संनिर्माण स्थल
(1)	(2)	(3)
1.	आगरा-मुम्बई मार्ग (एन.एच.-3)	बालसमुन्द
2.	मुरैना-धौलपुर मार्ग	मुरैना
3.	महू-नीमच मार्ग (एस.एच.-31)	नयागांव
4.	इन्दौर-इच्छापुर मार्ग (एस.एच.-27)	बुरहानपुर
5.	इन्दौर-अहमदाबाद मार्ग (एन.एच.-59)	पिथोल
6.	रीवा-मिर्जापुर मार्ग (एन.एच.-7)	हनुमना
7.	शाजापुर-उज्जैन-झालावाड़ मार्ग (एस.एच.-27)	टोरगांव
8.	सिवनी-नागपुर मार्ग (एन.एच.-7)	खवासा
9.	बैतूल-नागपुर मार्ग (एन.एच.-69)	मुल्ताई
10.	रीवा-इलाहाबाद मार्ग (एन.एच.-27)	चाकधाट
11.	जबलपुर-मण्डला मार्ग (एन.एच.-12ए)	मांगली
12.	शिवपुरी-झांसी मार्ग (एन.एच.-25)	सिकन्दरा
13.	भिण्ड इटावा मार्ग (एन.एच.-92)	पूफ

(1)	(2)	(3)
14.	नौगांव-झांसी मार्ग (एन.एच.-75)	नरई नाका
15.	छिन्दवाड़ा-नागपुर मार्ग (एस.एच.-19)	खापा करीमबार
16.	जबलपुर-जयपुर मार्ग (एन.एच.-12)	खिलचीपुर
17.	सेंधवा-खेतिया मार्ग (एम.डी.आर.)	निवाली
18.	सागर-ललितपुर मार्ग (एन.एच.-26)	मालथोन
19.	सागर-कानपुर मार्ग (एन.एच.-86)	खेमहा
20.	शिवपुरी-कोटा मार्ग (एन.एच.-76)	खारई
21.	वरूड़-मुल्ताई मार्ग	वरूड़
22.	डिण्डौरी-अमरकंटक मार्ग	कबीर चबूतरा
23.	अनूपपुर-अमरकंटक मार्ग	वेंकटनगर
24.	बालाघाट-गोदिया मार्ग (एस.एच.-11)	राजेंगांव

No. 22-60-08-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (11) of rule 202 of the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the State Government hereby specify the service charges which shall be borne by the Vehicle owner or driver at the following rates on the following 24 check posts being developed by investment from private sector on a per trip per Vehicle basis with effect from the date of issuance of Completion Certificate or Provisional Completion Certificate, as the case may be, to be issued by the Madhya Pradesh Road Development Corporation:—

## 1. Service Charges for 'Data Entry and weighing'

S.No. Category of Vehicle      Amount (in Rs.)  
(per trip per vehicle)

(1)	(2)	(3)
1.	Light Commercial Vehicle (LCV)	20.00
2.	Two Axle Truck	40.00
3.	Multi Axle Truck	80.00

The above rates will increase @ 5% per year and will be rounded off to the nearest five rupees. This increase will be made effective from 1st of April every year. The first increase will be effective from 1 April 2010.

2. Loading/Unloading Charges.—Charges for Loading/ Unloading of goods shall be Rs. 240 per tonne

which is to be increased @ 5% per year and will be rounded off to the nearest ten rupees. This increase will be made effective from 1st of April every year. The first increase will be effective from 1st April 2010. This charge is to be levied only on such vehicles which avails such service on demand.

### 3. Parking Charges.—

Parking duration (1)	Charges (in Rs.)	
	Light Commercial Vehicle (2)	Truck/ Multi Axle/Oversized Vehicles (3)
First six hours	Nil	Nil
More than six hours	20.00	30.00
Next slabs of six hours	50.00	75.00

The above rates will increase @ 5% per year and will be rounded off to the nearest five rupees. This increase will be made effective from 1st of April every year. The first increase will be effective from 1 April 2011.

**Note.—**The above service charges will be collected by authorized representative of private investor or developer selected by the Madhya Pradesh Road Development Corporation.

### List of Border Check Posts

S.No. (1)	Detail of Roads (2)	Construction Site (3)
1.	Agra-Mumbai Road (NH-3)	Balsamudra
2.	Morena-Dholpur Road	Morena
3.	Mhow-Neemuch Road (SH-31)	Nayagaon
4.	Indore-Icchapur Road (SH-27)	Burhanpur
5.	Indore-Ahmedabad Road (NH-59)	Pithol
6.	Rewa-Mirzapur Road (NH-7)	Hanumana
7.	Shajapur-Ujjain-Jhalawad Road (SH-27)	Dongargaon
8.	Seoni-Nagpur Road (NH-7)	Khawasa
9.	Betul-Nagpur Road (NH-69)	Multai
10.	Rewa-Allahabad Road (NH-27)	Chakghat

(1)	(2)	(3)
11.	Jabalpur-Mandla Road (NH-12A)	Mangli
12.	Shivpuri-Jhansi Road (NH-25)	Sikandara
13.	Bhind-Etawa Road (NH-92)	Poof
14.	Naugaon-Jhansi Road (NH-75)	Narai Naka
15.	Chhindwara-Nagpur Road (SH-19)	Khapa Karimwar
16.	Jabalpur-Jaipur Road (NH-12)	Khilchipur
17.	Sendhwa-Khetia Road (MDR)	Niiali
18.	Sagar-Lalitpur Road (NH-26)	Malthon
19.	Sagar-Kanpur Road (NH-86)	Khemaha
20.	Shivpuri-Kota Road (NH-76)	Kharai
21.	Warud Multai Road	Warud
22.	Dindori-Amarkantak Road	Kabir Chabutra
23.	Anuppur-Amarkantak Road	Venkatnagar
24.	Balaghpat-Gondia Road (SH-11)	Rajegaon

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिलीप राजद्विवेदी, उपसचिव,

### श्रम विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. एफ-1(ए)-10-2004-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा दो माह की अवधि हेतु, जो भी पहले हो, श्री जे. एस. सेंगर, सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ भोपाल को मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय, इन्दौर के अध्यक्ष का चालू प्रभार अपने कार्य के साथ-साथ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पुखराज मारू, प्रमुख सचिव,

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2010

## नियोक्ता के प्रतिनिधि

क्र. एफ-4-5-2010-ए-सोलह.—खतरनाक मशीन (विनियम) अधिनियम, 1983 (1983 का सं. 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश को नियंत्रक तथा संयुक्त संचालकों, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अपर नियंत्रक नियुक्त करता है।

No. F 4-5-2010-A-XVI-Lab-XVI-B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Dangerous Machines (Regulation) Act, 1983 (No. XXXV of 1983) the State Government hereby appoint Director, Industrial Health & safety, Madhya Pradesh, the controller and the Joint Directors Industrial Health & safety to be additional controller for whole of Madhya Pradesh for implementation of the provisions of the said Act.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. एफ-4 (सी) 5-1997-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 9 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)5-1997-ए-सोलह, दिनांक 10 नवम्बर 2005 को अपास्त करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, निमानुसार मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद का पुनर्गठन करता है :—

शासकीय अधिकारियों को समिलित करते हुए स्वतंत्र व्यक्ति

1. श्रीमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर अध्यक्ष
2. संचालक, आर्थिक एवं सांचियकी संचालनालय, मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन, भोपाल। सदस्य
3. सुश्री शिखा जोशी, सेवा मंत्री, सदस्य स्वाश्रयी महिता सेवा संघ, 96-बी, वैशाली नगर, इंदौर।
4. महानिदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि, बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान, डोमरगांव (मह.) जिला इंदौर। सदस्य

1. श्री विपिन कुमार जैन, महासचिव, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई-2/30, अरेगा कालोनी, भोपाल। सदस्य

2. श्री जेठानंद रामनानी, सचिव, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश, 96 पोलोग्राउंड, इंदौर। सदस्य

3. श्री मनोहर नागपाल, सदस्य, एक्जिक्यूटिव कमेटी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश, 96 पोलोग्राउंड, इंदौर। सदस्य

4. श्री अनिल मलिक, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देवास। सदस्य

5. डॉ. जीवनलाल जैन, मध्यप्रदेश बीडी उद्योग संघ, 178 केशवगंग, सागर। सदस्य

## श्रमिकों के प्रतिनिधि

1. श्री सुल्तान सिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, 249, शासकीय क्वार्टर, विरला ग्राम, नागदा, उज्जैन। सदस्य

2. श्री भगवानदास गोंडाने, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, 501/3, टेक्सटाईल क्लर्क कालोनी, परदेशीपुरा के पास, इंदौर। सदस्य

3. श्री बृजराजसिंह, मंत्री, मध्यप्रदेश इंटक, मुरली भवन के पीछे, कृष्णा नगर, सतना। सदस्य

4. श्री नारायण भारती, सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटृ) आई. डी. प्र., स्कीम नम्बर 91, कार्यालय कक्ष क्रमांक 1-2, प्रियदर्शनो महिला हाट, मालवा मिल चौराहा, इंदौर (म. प्र.). सदस्य

5. कॉ. कृष्णा मोदी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य समिति पाथाखेडा, जिला बैतूल.

6. श्री हरिओम सूर्यवंशी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश हिन्द मजदूर सभा, केम्प इंदौर, 445, पाटनीपुरा, इंदौर.

राज्य शासन न्यूनतम वेतन (मध्यप्रदेश) नियम, 1958 के नियम 7 के उपनियम (1) के अंतर्गत उप श्रमायुक्त, इंदौर उपर्युक्त परिषद का सचिव नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मंगला भालेराव, उपसचिव.

### आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

#### संशोधन आदेश

क्र. एफ-23-6-2004-5-पचीस.—मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2010 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

#### संशोधन

क्रमांक-2 पर अंकित “‘श्री शिवराज शाह, मण्डला-सदस्य’” के स्थान पर “‘श्री शिवराज शाह ‘शिवा भैया’, मण्डला-सदस्य’” पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. आर. अहिरबार, अवर सचिव.

### उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्र. एफ-9-2-2006 अट्टावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरान्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकल्स 74 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम (2) में अंकित अधिकारियों के स्थानांतरण होने के कारण कॉलम (3) में अंकित अधिकारियों

#### सदस्य

#### सदस्य

को निगम के संचालक मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है।

क्र. स्थानांतरित अधिकारी

(1) (2)

मनोनीत सदस्य

का नाम

(3)

1 श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

2 श्री अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय.

वर्तमान में श्री एम. एम. उपाध्याय, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

वर्तमान में श्री सेवाराम, प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओ. पी. तंवर, उपसचिव.

### आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्र. एफ-3-106-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्वारा, मढई से लगे ग्रामों के निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाया अनुसार परिलक्षित करता है :—

#### अनुसूची

मढई से लगे ग्रामों के निवेश क्षेत्र की सीमाएं :—

उत्तर में—ग्राम रैनीपानी, कामठी, श्रीरंगपुर की उत्तरी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम श्रीरंगपुर टेकापार, सारंगपुर, घोघरी की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में—ग्राम श्रीरंगपुर टेकापार, रैनीपानी की पूर्वी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम घोघरी, रैनीपानी की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-(इक्कीस)-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 17 अप्रैल 1998 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 21 तथा 44 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ क्रमाशः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
“21.	श्री अर्विंद मोहन सक्सेना, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 रायसेन.	रायसेन	रायसेन
44.	श्री सनत कुमार कश्यप, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.	शहडोल	शहडोल.”.

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 1-6-89-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B (I), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I dated 17th April 1998, namely :—

### AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 21 and 44 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely :—

S.No. (1)	Name and designation of the Judge (2)	Special Court (3)	Local area/Session division (4)
“21.	Shri Arvind Mohan Saxena, Special Judge, Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. Raisen.	Raisen	Raisen
44.	Shri Sanat Kumar Kashyap, Additional Sessions Judge, Shahdol.	Shahdol	Shahdol.”.

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

**विभाग प्रभुखों के आदेश**  
**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश**

सागर, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. 7214-20 सूत्रीय-तकाबी-10.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी (मण्डी), सागर, कृषि उपज मण्डी समिति, बीना में संसद सदस्य (लोक सभा), सागर द्वारा सांसद प्रतिनिधि नियुक्त हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ :—

श्री नथू सिंह बल्द देवी सिंह यादव,  
सा. करोदा (स्टेशन), तह. बीना,  
जिला सागर.

सांसद प्रतिनिधि

धारा 11 (1) घ

मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर.

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 26 जुलाई 2010

जिला नीमच के गांवों का थाना क्षेत्र परिवर्तित करने के संबंध में

क्र. पुअ-नीमच-एसी-56 एफ-2010.—पुलिस उप महानिरीक्षक, रत्लाम रेंज, रत्लाम के निर्देशानुसार भौगोलिक एवं प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं ग्रामीणों की सुविधा तथा कार्य की सुगमता की दृष्टि से जिले के समस्त थाना प्रभारियों से संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/ अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्न थानों के सीमावर्ती ग्रामों का पुनर्निर्धारण कर दूसरे थाने में मिलाना प्रस्तावित है :—

क्रमांक	ग्राम	वर्तमान थाना एवं ग्राम से दूरी (किमी.)	प्रस्तावित थाना एवं गांव से दूरी (किमी.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सगराना (संबंधित हाईवे)	बघाना 15	नीमच 10
2	घसुण्डी (संबंधित हाईवे)	बघाना 15	नीमच 12
3	हिंगोरिया (संबंधित हाईवे)	बघाना 8	नीमच 4
4	चौथखेड़ा	बघाना 13	नीमच 5
5	जमुनिया खुर्द	बघाना 11	नीमच 7
6	आसपुरा	जीरन 15	बघाना 8
7	ग्वालदेविया	जीरन 16	बघाना 9
8	पालसोड़ा	बघाना 22	जीरन 9
9	आम्बा	रत्नगढ़ 40	सिंगोली 15
10	परलाई	रत्नगढ़ 40	सिंगोली 15
11	बांगरेड़ खेड़ा	जावद 27	मनासा 12
12	देपालपुरा	जावद 22	मनासा 14
13	सावन	नीमच केंट 22	मनासा 6
14	सावनकुण्ड	नीमच केंट 25	मनासा 3

(प्रमोद चर्मा )

पुलिस अधीक्षक

जिला नीमच

( एस. एस. बंसल )

कलेक्टर

जिला नीमच

निर्णय

उपरोक्त प्रस्ताव विचारानुपरान्त अनुमोदित किया जाता है।

( एस. एस. बंसल )

कलेक्टर एवं सचिव

जिला योजना समिति, नीमच.

अध्यक्ष

जिला योजना समिति, नीमच.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 17 जून 2010

प्र. क्र. 4-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)						
			खसरा नम्बर	रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
रायसेन	गौहरगंज	खमरिया	9/2	3.20	0.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.	खमरिया निमावर		
		निमावर	11/1	4.15	0.80		जलाशय की मुख्य		
		मुख्य नहर	50/135/1	14.54	1.30		नहर, उप नहर एवं		
			50/135/3	4.16	0.58		ड्रेनेज चेनल.		
			50/135/2	0.26	0.06				
			50/4	6.88	0.40				
			50/135/4	8.12	0.63				
			51	4.75	0.52				
			53	2.23	0.50				
			55	6.30	0.18				
			56/1/2/1	8.30	0.90				
			56/1/3	5.00	0.76				
			58/4	5.71	0.12				
			73	6.97	0.90				
			72	16.30	1.30				
			योग ..	96.87	9.43				
			56/1/3	5.00	0.20				
			58/4	5.71	0.49				
			58/3/3	1.00	0.09				
			58/3/2	3.71	0.38				
			58/3/1	1.00	0.08				
			58/2/1	5.21	0.20				
			योग ..	21.63	1.44				
			8/1/1/2	6.36	1.10				
			11/1	4.15	0.20				
			11/2	2.50	0.23				
			11/3	2.50	0.47				
			योग ..	15.51	2.00				
			महायोग -	134.01	12.87				

टैग.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायसेन, दिनांक 9 जुलाई 2010

प्र. क्र. 7-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अनुसूची			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)						
			खसरा नम्बर	रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
रायसेन	गौहरगंज	नयापुरा	46/1	2.33	0.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.	नयापुरा सोडपुर स्प्ल. चेनल के निर्माण हेतु।		
		सोडपुर	46/2	2.33	0.48				
			76	0.35	0.19				
			47	2.21	0.44				
			71	0.49	0.49				
			59	0.87	0.38				
			60	1.24	0.48				
			67	0.43	0.24				
			68	0.47	0.27				
			69	0.41	0.41				
			70	2.36	0.80				
			72	0.51	0.51				
			75	0.23	0.23				
			73	0.32	0.32				
			74	0.26	0.26				
			117	0.37	0.37				
			122/1	0.15	0.15				
			120/1	0.21	0.21				
			122/2	0.15	0.15				
			120/2	0.20	0.20				
			122/3	0.32	0.16				
			122/4	0.32	0.16				
			121	0.55	0.55				
			119/1	0.22	0.22				
			119/2	0.20	0.20				
			118	0.38	0.38				
			116	0.05	0.05				
			132	0.42	0.42				
			134	0.46	0.46				
			135	0.39	0.39				
			136	0.12	0.12				
			योग ..	19.32	10.17				

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ 10 पत्र क्र. 644-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (4)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)	(6)
सतना	मैहर	अरकंडी	4.690	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर, जिला सतना.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग म. प्र. को मां शारदा देवी प्रबंधन समिति मैहर मेला परिक्षेत्र के व्यवस्थित विकास हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 15 जुलाई 2010

क्र. 1338-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)	(6)
सिंगरौली	चितरंगी	बरा	0.63	उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी चितरंगी, जिला सिंगरौली (म. प्र.)	सोन नदी पर सबमर्सिवल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय चितरंगी में देखा जा सकता है।

क्र. 1341-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) सिंगरौली	(2) चितरंगी	(3) चितावल खुर्द	(4) 0.50	उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी चितरंगी, जिला सिंगरौली (म. प्र.).	(5) सोन नदी पर सबमर्सिबल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय चितरंगी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) शिवपुरी	(2) नरवर	(3) दबरासानी	(4)	(5)	(6)	(7)
			671	0.11	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, दांया तट	सिंध परियोजना दांया तट
			672	0.07	नहर संभाग करैरा,	नहर (महुआर नदी तक)
			673/1	0.18	जिला शिवपुरी।	की डी-4 वितरण शाखा की टेल मायनर निर्माण हेतु।
			673/2	0.02		
			674/2	0.07		
			674/3	0.01		
			675/4	0.05		
			681	0.13		
			682/1	0.07		
			711	0.08		
			713	0.20		
			720	0.15		
			721	0.12		
			725	0.02		
			726	0.06		
			कुल योग . .	1.34		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्रू-भू-अर्जन-3-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) सार्वजनिक प्रयोजन	का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	कल्याणपुर	21	0.02	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांया तट
			23	0.02	परियोजना दांया तट	नहर (महार नदी तक)
			25	0.19	नहर संभाग करैरा	की डी-4 वितरण शाखा की
			46	0.05	जिला शिवपुरी.	टेल मायनर निर्माण हेतु
			47	0.01		
			60	0.06		
			61	0.03		
			62	0.02		
			63	0.06		
			67	0.02		
			68	0.01		
			82	0.04		
			83	0.01		
			84	0.08		
			85	0.02		
			88	0.04		
			89	0.06		
			335	0.03		
			336	0.02		
			337	0.02		
			338	0.01		
			379	0.01		
			380	0.08		
			381	0.01		
			385	0.03		
			386	0.02		
			390	0.03		
			391	0.02		
			392	0.02		
			393	0.08		
			396	0.04		
			397	0.05		
			398	0.04		
			407	0.05		
			408/मिन	0.09		
			409	0.06		
			410	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			414	0.15		
			432	0.07		
			433	0.02		
			434	0.02		
			435	0.06		
			437	0.09		
			438	0.01		
			455	0.09		
			460/2	0.16		
			461	0.05		
			462	0.01		
			463	0.08		
			464	0.02		
			474	0.22		
			757	0.08		
			758	0.08		
			768	0.05		
			778	0.07		
			782	0.05		
			783	0.06		
			779	0.06		
			781	0.06		
			789	0.11		
			790	0.12		
		कुल योग		3.23		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-4-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करेंगा जिला शिवपुरी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (7) सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुआर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा की 2 एल मायनर निर्माण हेतु
		तहसील/ नगर/ग्राम	खसरा नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रमगढ़ा	169	0.08	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांया तट
			170	0.16	परियोजना दांया तट	नहर (महुआर नदी तक)
			171	0.06	नहर संभाग करेंगा	की डी-4 वितरण शाखा की
			174	0.02	जिला शिवपुरी	2 एल मायनर निर्माण हेतु
			175	0.02		
			176	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			178	0.06		
			179	0.06		
			181	0.08		
			205	0.07		
			206	0.09		
			226	0.01		
			228	0.33		
			233	0.13		
			234	0.14		
			235	0.12		
			237	0.05		
			238	0.07		
			242	0.01		
			243	0.03		
			244	0.07		
			246	0.04		
			247	0.04		
			248	0.02		
			255	0.04		
			257	0.18		
			258	0.09		
			268	0.16		
			269	0.05		
			271	0.10		
			277	0.06		
			279	0.08		
			280	0.06		
			281	0.05		
			284	0.19		
			285	0.18		
			286	0.06		
			287	0.01		
			289	0.01		
			290	0.03		
			291	0.20		
			292	0.17		
			333	0.07		
			334	0.35		
			336	0.05		
			612	0.15		
		कुल योग		4.11		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-5-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में चर्चित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			982	0.25		
			984/1	0.03		
			984/2	0.03		
			1018/2	0.14		
			1020	0.08		
			1021	0.02		
			1024	0.03		
			1025	0.13		
			1031	0.33		
			1040	0.25		
			1044	0.21		
			1045	0.16		
			1047	0.40		
			1053	0.15		
			1059	0.05		
		कुल योग .		5.54		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-6-09-10-अ 82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	बीजौर	21	0.14	कार्यपालन यंत्री, सिंध
			48	0.08	परियोजना दांया तट
			49	0.10	नहर संभाग करैरा
			51	0.08	जिला शिवपुरी
			80	0.02	सिंध परियोजना दांया तट
			81	0.05	नहर (महार नदी तक)
			83	0.05	की डी-4 वितरण शाखा 7
			84	0.10	
			86	0.05	
			101	0.01	
			103	0.03	
			104	0.07	
			105	0.06	
			111	0.06	एल माइनर निर्माण हेतु,

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	नैनागिर	347	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट	
			348	0.14	परियोजना दांया तट	नहर (महुआर नदी तक)
			349/2	0.05	नहर संभाग करैरा	की ढी-4 वितरण शाखा 2
			350/1	0.09	जिला शिवपुरी.	एल मायनर एवं 3 एल माइनर निर्माण हेतु
			350/2	0.08		
			351/1	0.07		
			351/2	0.13		
			397	0.14		
			398	0.11		
			402	0.15		
			403	0.12		
			404/4	0.02		
			435	0.06		
			437	0.03		
			438	0.05		
			440	0.07		
			441	0.10		
			443	0.04		
			518	0.06		
			532	0.09		
			536	0.08		
			537	0.04		
			538	0.04		
			781	0.01		
			783	0.20		
			785	0.10		
			786/1	0.06		
			786/2	0.03		
			786/3	0.04		
			790	0.56		
			792	0.02		
			795	0.12		
			827	0.02		
			831	0.06		
			832	0.12		
			833	0.05		
			834	0.06		
			835	0.06		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			112	0.15		
			113	0.16		
			127	0.07		
			128	0.07		
			129	0.11		
			130	0.03		
			131	0.08		
			200	0.12		
			201	0.10		
			257	0.06		
			258	0.01		
			261	0.11		
			262	0.06		
			276	0.11		
			277	0.14		
			278	0.05		
			287/1	0.01		
			287/2	0.03		
			288	0.06		
			289	0.03		
			291	0.01		
			292	0.10		
			कुल योग	2.57		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-7-09-10-अ 82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हें. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	खड़ोचा	19	0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध
			218	0.07	परियोजना दांया तट
			219	0.01	नहर संभाग करैरा
			249	0.13	जिला शिवपुरी
			250	0.02	
			251	0.10	
			253	0.07	
			254	0.08	
			255	0.13	
			294	0.05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			295	0.10		
			302	0.03		
			303	0.03		
			304	0.11		
			306	0.09		
			317	0.20		
			327	0.06		
			328	0.08		
			329	0.01		
			330	0.09		
			331	0.08		
			341	0.08		
			342	0.03		
			343	0.16		
			344	0.01		
			393	0.18		
			396	0.05		
			397	0.05		
			400	0.03		
			418	0.30		
			419	0.15		
			423	0.05		
			425	0.56		
			426	0.30		
			427	0.14		
			428	0.08		
			429	0.53		
			430	0.01		
			432	0.38		
			435	0.35		
			1104	0.10		
			1105	0.10		
			1106	0.26		
			1107	0.36		
			1110	0.36		
			1111	0.15		
			1112	0.12		
			1113	0.08		
			1114	0.54		
			1115	0.16		
			1116	0.01		
			1117	0.01		
			1118	0.20		
			1301	0.08		
			1398	0.22		
			1399	0.07		
			1400	0.01		
			1424	0.05		
			1425	0.05		
			1428	0.02		
			1429	0.14		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1430	0.07		
			1437	0.24		
			1438	0.08		
			1439	0.01		
			1442	0.21		
			1490	0.02		
			1493	0.01		
			1495	0.06		
			1496	0.03		
			1565	0.18		
			1570	0.29		
			1571	0.05		
			1572	0.01		
			1576	0.02		
			1581	0.19		
			1582	0.09		
			1583	0.08		
			1645	0.03		
			1649	0.10		
			1650	0.22		
			1720	0.48		
			1722	0.25		
			1723	0.69		
			1724	0.12		
			1725	0.32		
			1726	0.01		
			1727	0.27		
			1728	0.28		
			1738	0.12		
			1739	0.06		
			1737/1	0.09		
			1737/2	0.01		
			1740	0.40		
			1741	0.72		
			1742	0.34		
			1743	0.06		
			1744	0.05		
			1745	0.13		
			1747	0.10		
			1748	0.06		
			1749	0.74		
			1750/1	0.12		
			1750/2	0.33		
			1752	0.78		
			1753/1	0.19		
			1753/2	0.19		
			1753/3	0.07		
			1756	0.49		
			1757	0.75		
		कुल योग . . .		18.31		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-8-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हें. में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	देहरेटा	79	0.15	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट	सिंध परियोजना दांया तट
		सोनी	80	0.05	नहर संभाग करेरा	नहर महुअर नदी के पहले की
			101/1	0.07	जिला शिवपुरी.	डी-4 वितरण शाखा तथा 12 आर एवं टेल माइनर निर्माण हेतु.
			101/2	0.06		
			102	0.09		
			103	0.10		
			139	0.08		
			140	0.08		
			142	0.09		
			182	0.07		
			183	0.10		
			247	0.02		
			263	0.06		
			264	0.17		
			303	0.01		
			318	0.01		
			319	0.04		
			320	0.04		
			321	0.06		
			322	0.01		
			324	0.05		
			325/1	0.05		
			325/2	0.15		
			326	0.04		
			328	0.01		
			354	0.15		
			355	0.12		
			356	0.02		
			357	0.02		
			358	0.07		
			372	0.20		
			373	0.07		
			374	0.05		
			375	0.18		
			379	0.18		
			380	0.22		
			381	0.02		
			386	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			387	0.18		
			389	0.05		
			390	0.12		
			391	0.07		
			392	0.18		
			393	0.01		
			394	0.33		
			455	0.11		
			456/1	0.17		
			457	0.09		
			467	0.18		
			468	0.16		
			470	0.25		
			471	0.16		
			475	0.01		
			478	0.03		
			479	0.13		
			480	0.08		
			481	0.10		
			517	0.10		
			518	0.01		
			519	0.04		
			520	0.05		
			521	0.08		
			538	0.01		
			539	0.14		
			544	0.13		
			546	0.15		
			548	0.01		
			560	0.02		
			563	0.05		
			564	0.05		
			568	0.08		
			572	0.02		
			573	0.21		
			574	0.05		
			593	0.06		
			594	0.09		
			595	0.06		
			598	0.14		
			625	0.06		
			639	0.15		
			640	0.02		
			660	0.09		
			661	0.03		
			662	0.10		
			665	0.08		
			718	0.10		
			719	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			724	0.08		
			725	0.32		
			726	0.02		
			728	0.01		
			729	0.09		
			730	0.09		
			732	0.15		
			736	0.07		
			737	0.07		
			745	0.12		
			746	0.08		
			747	0.02		
			748	0.02		
			749	0.11		
			753	0.05		
			754	0.01		
			768	0.26		
			769	0.01		
			780	0.21		
			781	0.08		
			784	0.02		
			785	0.06		
			788	0.01		
			789	0.21		
			790/1	0.10		
			919	0.01		
			920	0.06		
			922	0.10		
			923	0.03		
			926	0.06		
			927	0.04		
		कुल योग . .		10.15		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-9-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	भैंसा		20	0.06	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांया तट नहर
				24	0.10	परियोजना दांया तट	(महुआर नदी तक) की डी-4
				25	0.04	नहर संभाग करैरा	वितरण शाखा तथा 9 आर एवं
				26	0.06	जिला शिवपुरी।	10 आर माइनर निर्माण हेतु।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			27	0.05		
			28	0.10		
			29	0.01		
			66	0.10		
			67	0.05		
			68	0.01		
			69	0.02		
			70	0.03		
			71	0.10		
			110	0.10		
			111	0.05		
			114	0.11		
			115/1	0.02		
			115/2	0.01		
			130	0.11		
			131	0.03		
			841	0.11		
		कुल योग . . .		1.27		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-10-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं. (हे. में)	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रावखुर्द	22	0.06	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			93	0.01	परियोजना दांया तट	(महुआर नदी के पश्चात) की
			95	0.07	नहर संभाग करैसा	डी-7 वितरण शाखा तथा 6
			96	0.13	जिला शिवपुरी.	आर एवं 7 एल माइनर निर्माण हेतु।
			97	0.15		
			98	0.04		
			107	0.01		
			108	0.10		
			109	0.08		
			110	0.08		
			127	0.12		
			128	0.20		
			130	0.01		
			143	0.40		
			146	0.20		
			147	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			148	0.11		
			150	0.04		
			151	0.12		
			152	0.09		
			153	0.18		
			154	0.07		
			155	0.25		
			156	0.36		
			157	0.04		
			158	0.03		
			160	0.20		
			161	0.07		
			162	0.06		
			163	0.12		
			164	0.14		
			165	0.26		
			166	0.02		
			184	0.04		
			185	0.04		
			186	0.08		
			187	0.12		
			188	0.15		
			191	0.23		
			192	0.11		
			193	0.06		
			194	0.10		
			196	0.03		
			197	0.09		
			232	0.06		
			233	0.06		
			235	0.07		
			236	0.03		
			237	0.07		
			238	0.05		
			273	0.09		
			275	0.08		
			276	0.03		
			277	0.02		
			279	0.17		
			283	0.01		
			284	0.01		
			353	0.25		
			355	0.07		
			356	0.05		
			357	0.06		
			363	0.04		
			364	0.21		
			365	0.05		
			368	0.05		
			कुल योग	6.48		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-11-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	दिहायला	1	0.20	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर	सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुआर नदी तक) की ढी-4
			4	0.04	परियोजना दांया तट	वितरण शाखा की 8 एल एवं
			5	0.15	नहर संभाग करैरा,	9 आर मायनर निर्माण हेतु।
			6	0.12	जिला शिवपुरी।	
			7	0.09		
			8	0.02		
			9	0.07		
			10	0.07		
			11	0.02		
			16	0.07		
			17	0.06		
			18	0.15		
			19	0.03		
			20	0.04		
			24/6	0.02		
			25	0.06		
			29	0.07		
			30	0.08		
			63	0.12		
			64	0.13		
			65	0.05		
			67	0.03		
			68	0.05		
			69	0.02		
			75	0.03		
			76	0.02		
			77	0.03		
			78	0.03		
			79	0.03		
			80	0.04		
			81/2	0.09		
			81/3	0.01		
			82	0.23		
			83	0.06		
			84	0.07		
			85	0.07		
			86	0.07		
			87	0.07		
			88	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			89	0.21		
			91	0.11		
			94	0.03		
			95	0.15		
			96	0.05		
			97	0.02		
			98	0.02		
			100	0.04		
			101	0.03		
			102	0.10		
			103	0.02		
			153	0.10		
			154	0.04		
			155	0.01		
			159	0.02		
			160	0.08		
		कुल योग . .		<u>3.71</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	पनौआ	113	0.07	कार्यपालन यंत्री, सिंध
			114	0.04	परियोजना दांया तट
			115	0.22	नहर संभाग करैरा,
			127	0.06	जिला शिवपुरी.
			207	0.10	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			208	0.08	(महुआर नदी के पश्चात) की
			209	0.08	डी-7 वितरण शाखा की 7
			210	0.10	एल मायनर निर्माण हेतु।
			215	0.02	
			273	0.12	
			274	0.04	
			275	0.04	
			276	0.05	
			277	0.03	
			278	0.15	
			279	0.09	
			299	0.08	
			302	0.16	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			303	0.20		
			307	0.11		
			308	0.04		
			309	0.26		
			312	0.02		
			345/2	0.01		
			347	0.05		
			348	0.02		
			353	0.11		
			355	0.06		
			356	0.09		
		कुल योग . .		<u>2.43</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-14-09-10-अ-82.—चंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	चित्ताहारी	46	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			48	0.05	परियोजना दांया तट	(महुआर नदी तक) की ढी-4
			49	0.03	नहर संभाग करैरा	वितरण शाखा 6 एल एं 7
			68	0.06	जिला शिवपुरी।	एल मायनर निर्माण हेतु।
			71	0.07		
			72/मिन	0.07		
			73	0.10		
			74	0.10		
			75	0.10		
			76	0.01		
			226	0.18		
			235	0.07		
			236	0.07		
			237	0.08		
			241	0.01		
			243	0.05		
			244	0.01		
			245	0.11		
			246	0.03		
			248	0.20		
			249	0.16		
			250	0.01		
			251/2	0.01		
			252/3	0.02		
			283	0.01		
			285	0.06		
			287	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			289	0.02		
			350	0.02		
			351	0.05		
			357	0.02		
			360	0.08		
			361/1	0.03		
			361/2	0.07		
			362	0.01		
			363/1	0.05		
			363/2	0.13		
			377	0.07		
			378/1	0.04		
			385	0.04		
			386	0.04		
			387	0.04		
			388	0.05		
			390	0.09		
			391	0.08		
			397	0.04		
			398	0.01		
			399	0.12		
			403	0.10		
			405	0.09		
			406	0.01		
			412	0.01		
			413	0.03		
			415	0.01		
			416	0.02		
			418	0.11		
			419	0.12		
			459	0.08		
			462	0.09		
			488	0.11		
			कुल योग	3.73		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-15-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	मुड़ैनी	56	0.26	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांस्या टट नहर
			57	0.10	परियोजना दांस्या टट	(महुआर नदी तक) डी-4 की
			83/1	0.09	नहर संभाग करैरा	वितरण शाखा की 3 एल
			83/2	0.08	जिला शिवपुरी।	मायनर निर्माण हेतु।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			83/4	0.06		
			84/3/2	0.02		
			88/1	0.03		
			88/4	0.12		
			91	0.04		
			121/1	0.01		
			121/2	0.07		
			125	0.15		
			127	0.20		
			380	0.11		
			383	0.07		
			384	0.05		
			385	0.02		
			379/1	0.01		
			387	0.02		
			395	0.07		
			396	0.03		
			422	0.02		
			427	0.04		
			432	0.01		
			434	0.15		
			466	0.12		
			467	0.12		
			473	0.06		
			474	0.12		
			कुल योग . .	<u>2.25</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-16-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खंसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	कारोवाहा	92	0.15	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			187	0.32	परियोजना दांया तट	(महुआर नदी तक) ढी-4
			119	0.30	नहर संभाग करैरा	वितरण शाखा की 5 एल एवं
			225	0.09	जिला शिवपुरी।	6 एल मायनर के निर्माण हेतु।
			230	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			297	0.22		
			315	0.28		
			318	0.14		
			544	0.05		
			686	0.08		
			710	0.03		
			711	0.03		
			713	0.32		
			715	0.01		
			730/मिन	0.08		
			731	0.02		
			732/मिन	0.04		
			748	0.18		
			760/मिन	0.01		
			761/मिन	0.34		
			766/मिन	0.03		
			767	0.03		
			768/मिन	0.04		
			769/मिन	0.02		
			770	0.01		
			771/मिन	0.45		
			कुल योग	3.36		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-17-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	गोकन्दा	4	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			5	0.04	परियोजना दांया तट	(महुआर नदी तक) की डी-4
			10	0.03	नहर संभाग करैरा	वितरण शाखा तथा 8 एल
			11	0.15	जिला शिवपुरी।	एवं 9 आर मायनर निर्माण हेतु।
			12	0.06		
			13	0.17		
			17	0.14		
			47	0.02		
			48	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			105	0.16		
			157	0.17		
			161	0.18		
			167	0.08		
			168	0.09		
			197	0.27		
			205	0.09		
			206	0.02		
			207	0.01		
			607	0.12		
			608	0.07		
			609	0.01		
			610	0.09		
			1061	0.01		
			1064	0.02		
			1065	0.03		
			1069	0.06		
			1071	0.11		
			1072	0.08		
			1073	0.03		
			1075	0.01		
			1079	0.10		
			1080	0.11		
			1081	0.04		
			1082	0.05		
			1087	0.02		
			1106	0.06		
			1107	0.07		
			1108	0.06		
			1109	0.05		
			1141	0.10		
			1143	0.02		
			1144	0.03		
			1145	0.03		
			1146	0.03		
			1147	0.01		
			1148	0.05		
			1149	0.02		
			1150	0.01		
			1164	0.09		
			1165	0.06		
			1168	0.07		
			1169	0.01		
			1179	0.01		
			1185	0.11		
			1188	0.07		
			1191	0.14		
			1193	0.02		
			1206	0.01		
			1207	0.10		
			1225	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1234	0.08		
			1236	0.03		
			1237	0.03		
			1238	0.01		
			1240	0.07		
			1242	0.02		
			1243	0.02		
			1244	0.02		
			1245	0.03		
			1246	0.01		
			1253	0.08		
			1254	0.08		
			1255	0.17		
			1256	0.17		
			1257	0.11		
			1258	0.06		
			1259	0.03		
			1260	0.05		
			1261	0.06		
			1262	0.23		
			1265	0.03		
			1266	0.04		
			1267	0.03		
			1270	0.03		
			1272	0.02		
			1273	0.02		
			1274	0.01		
			1276	0.01		
			1284	0.07		
			1285	0.10		
			1286	0.01		
			1289	0.11		
			1290	0.01		
			1291	0.03		
			1292	0.20		
			1293	0.02		
			1294	0.16		
			1299	0.02		
			1300	0.20		
			1302	0.01		
			1303	0.02		
			1304	0.02		
			1307	0.01		
			1308	0.01		
			1310	0.01		
			1311	0.10		
			1314	0.20		
			1315	0.04		
			1316	0.05		
			1323	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1346	0.03		
			1347	0.04		
			1349	0.09		
			1350	0.10		
			1351	0.03		
			1352	0.04		
			1353	0.04		
			1355	0.01		
			1356	0.01		
			1357	0.02		
			1358	0.02		
			1359	0.02		
			1360	0.02		
			1363	0.10		
			1364	0.12		
			1365	0.04		
			1366	0.02		
			1407	0.02		
			1408	0.01		
			1409	0.05		
			1410	0.01		
			1411	0.10		
			1417	0.01		
			1421	0.02		
			1422	0.23		
			1423	0.01		
			1425	0.01		
			1429	0.11		
			1484	0.01		
		कुल योग		8.33		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-18-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन	अनुसूची		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			नगर/ग्राम	खसरा नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	दौनी	16	0.07	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			17	0.14	परियोजना दांया तट	(महुआर नदी तक) की
			66	0.01	नहर संभाग करैरा	डी-4 वितरण शाखा 9 आर,
			67	0.07	जिला शिवपुरी।	10 आर एवं 11 एल मायनरों
			68	0.08		के निर्माण हेतु।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			70	0.04		
			71	0.10		
			91	0.07		
			110	0.07		
			128	0.05		
			129	0.06		
			131	0.08		
			145	0.09		
			146	0.01		
			147	0.10		
			148	0.04		
			153	0.06		
			154	0.06		
			156	0.01		
			162	0.10		
			164	0.01		
			493	0.10		
			499	0.03		
			500	0.03		
			501	0.03		
			502	0.03		
			505	0.02		
			506	0.04		
			507	0.08		
			520	0.09		
			524	0.13		
			525	0.09		
			526	0.01		
			528	0.20		
			537	0.07		
			555	0.35		
			556	0.27		
			558	0.03		
			559	0.21		
			560	0.10		
			561	0.03		
			564	0.12		
			622	0.20		
			623	0.15		
			629	0.09		
			630	0.27		
			631	0.03		
			632	0.08		
			633	0.03		
			646	0.03		
			647	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			648	0.02		
			652	0.01		
			653	0.01		
			683/2	0.16		
			687	0.01		
			688	0.18		
			689	0.15		
			735	0.03		
			741	0.02		
			742	0.04		
			743	0.04		
			745	0.10		
			746	0.11		
			749	0.08		
			750	0.04		
			751	0.02		
			754	0.17		
			755	0.05		
			756	0.07		
			939	0.08		
			940	0.10		
			947	0.05		
			948	0.05		
			949	0.12		
			950	0.05		
			953	0.02		
			954	0.06		
			955	0.04		
			1009	0.05		
			1010	0.05		
			1016	0.06		
			1031/2	0.25		
			1076	0.01		
			1077	0.03		
			1078	0.01		
			1079	0.08		
			1080	0.05		
			1081	0.06		
			1082	0.04		
			1083	0.03		
			1085	0.05		
			1086	0.03		
			1095	0.02		
			1096	0.09		
			1097	0.10		
			1098	0.09		
			1099	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1100	0.03		
			1101	0.01		
			1102	0.14		
			1103	0.03		
			1109	0.06		
			1110	0.08		
			1111	0.07		
			1114	0.06		
			1115	0.08		
			1117	0.06		
			1119	0.03		
			1195	0.01		
			1197	0.11		
			1199	0.01		
			1200	0.06		
			1201	0.02		
			1206	0.03		
			1209	0.08		
			1210	0.11		
			1211	0.01		
			1222	0.02		
			1223	0.02		
			1224	0.01		
			1244	0.03		
			1246	0.01		
			1262	0.01		
			1263	0.04		
			1264	0.09		
			1265	0.01		
			1277	0.03		
			1278	0.05		
			1279	0.08		
			1307	0.01		
			1308	0.02		
			1309	0.03		
			1310	0.02		
			1311	0.03		
			1312	0.02		
			1313	0.01		
			1316	0.01		
			1317	0.03		
			1318	0.10		
			1322	0.25		
			1323	0.20		
			1327	0.02		
			1328	0.01		
			1329	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1330	0.02		
			1333	0.18		
			1334	0.02		
			1335	0.02		
			1336	0.05		
			1338	0.05		
			1339	0.07		
			1340	0.04		
			1341	0.05		
			1343	0.06		
			1344	0.03		
			1345	0.01		
			1346	0.01		
			1347	0.03		
			1349	0.10		
			1351	0.22		
			1352	0.02		
			1353	0.03		
			1362	0.02		
			1363	0.06		
			1365	0.01		
			1390	0.01		
			1391	0.11		
			1397	0.01		
			1399	0.02		
			1400	0.08		
			1406	0.05		
			1408	0.08		
			1410	0.05		
			1411	0.05		
			1412	0.07		
			1416	0.08		
			1418	0.02		
			1605	0.10		
			1621	0.01		
			1622	0.09		
			1623	0.01		
			1628	0.07		
			1629	0.09		
			1630	0.04		
			1631	0.07		
			1643	0.04		
			1644	0.09		
			1645	0.01		
			1646	0.01		
			1647	0.02		
			1665	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1718	0.16		
			1720	0.02		
			1731	0.03		
			1733	0.01		
			1947	0.01		
			1948	0.02		
			1949	0.06		
			1950	0.01		
			1955	0.08		
			1956	0.07		
			1966	0.01		
			1969	0.09		
			1970	0.01		
			1971/1	0.10		
			1987	0.05		
			1988	0.06		
			1989	0.02		
			1990	0.08		
			1991	0.05		
			1994	0.02		
			1995	0.07		
		कुल योग		13.02		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-19-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हें. में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	कलोथरा सानी				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
शिवपुरी	नरवर	कलोथरा सानी		1	0.09	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांया तट नहर
				3	0.18	परियोजना दांया तट	(महुअर नदी के पश्चात्) की
				4	0.04	नहर संभाग करैसा	डी-7 वितरण शाखा 5 आर,
				5	0.09	जिला शिवपुरी।	6 आर एवं 11 एल माइनर
				6	0.08		निर्माण हेतु।
				07	0.11		
				19/2	0.02		
				24	0.28		
				25	0.01		
				26	0.07		
				27	0.08		
				28	0.16		
				29	0.19		
				30	0.10		
				35	0.06		
				37/1	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	37/2		0.01			
	38/1		0.01			
	38/2		0.01			
	42		0.01			
	54		0.04			
	55		0.01			
	65		0.30			
	67		0.04			
	68		0.03			
	114		0.02			
	116		0.03			
	117		0.01			
	120		0.04			
	121/1		0.01			
	121/2		0.04			
	122		0.08			
	159		0.01			
	160		0.08			
	161		0.01			
	180		0.06			
	181		0.04			
	183		0.05			
	184		0.03			
	189		0.04			
	190		0.18			
	191		0.09			
	192		0.04			
	205		0.02			
	206		0.09			
	207		0.02			
	208		0.08			
	209		0.10			
	210		0.01			
	211		0.01			
	242		0.05			
	243		0.09			
	244		0.04			
	245		0.02			
	266		0.07			
	269		0.02			
	270		0.02			
	271/1		0.10			
	271/2		0.08			
	287		0.04			
	288		0.04			
	289		0.04			
	291		0.09			
	293		0.02			
	294		0.01			
	295		0.06			
	296		0.16			
	297		0.04			
	298		0.01			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			299	0.01		
			300	0.02		
			303	0.03		
			304	0.01		
			305	0.02		
			306	0.18		
			454	0.04		
			456	0.03		
			457	0.05		
			कुल योग . . .	4.62		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. 6050-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि	भू-अर्जन अधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-खेड़ी ब. नं.-109 प. ह. नं.-52 रा. नि. मं. इकलाबिहरी	0.412 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां)	कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा	सारोठ जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण।
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग-छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नवशे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग क्रमांक-1 पांदुर्णा मुख्यालय छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

भिण्ड, दिनांक 21 जुलाई 2010

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-01-भू-अर्जन-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल रक्का (हे. में)	(6)	(7)
(1) भिण्ड	(2) गोहद	(3) गोहद	(4) 2646	(5) 0.021	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग गोहद	गोहद बनीपुरा रोड हेतु जिला भिण्ड.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय गोहद में किया जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-02-भू-अर्जन-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल रक्का (हे. में)	(6)	(7)
(1) भिण्ड	(2) गोहद	(3) गोहद	(4) 2647/1	(5) 0.062	जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड.	शा. बा. उ. उ. मा. वि. गोहद हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

महू, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. 1264-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

<b>भूमि का वर्णन</b>				<b>धारा 4 की उपधारा</b>	<b>सार्वजनिक प्रयोजन</b>
<b>जिला</b>	<b>तहसील</b>	<b>ग्राम</b>	<b>क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)</b>	<b>(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी</b>	<b>का वर्णन</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर नगर (महू)	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)	रामपुरिया योग	3.003 . . 3.003	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, इन्दौर	नाहरखेड़ा तालाब निर्माण

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है।—नाहरखेड़ा तालाब निर्माण के लिए.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1266-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

<b>भूमि का वर्णन</b>				<b>धारा 4 की उपधारा (2)</b>	<b>सार्वजनिक प्रयोजन</b>
<b>जिला</b>	<b>तहसील</b>	<b>ग्राम</b>	<b>क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)</b>	<b>के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी</b>	<b>का वर्णन</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर नगर (महू)	डॉ. अम्बेडकर नगर	कालीकिराय योग	3.885 . . 3.885	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, इन्दौर	कालीकिराय तालाब क्रमांक-2 निर्माण.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है।—कालीकिराय तालाब क्रमांक-2 निर्माण के लिए.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
**मनावर, दिनांक 23 जुलाई 2010**

क्र. 1346-वाचक-प्र.क्र.05-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) धार	(2) मनावर	(3) पटवार प. ह. नं.	(4) 1900 वर्ग मी. 34/123	(5) कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. न. घा. वि. मान जोबट संभाग कुक्षी, जिला धार	(6) सरदार सरोवर परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

**नोट.—**भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग न. घा. वि. प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1348-वाचक-प्र.क्र.06-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) धार	(2) मनावर	(3) दगड़पुरा प. ह. नं.	(4) 300 वर्ग मी. 34/123	(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. मान जोबट संभाग, कुक्षी, जिला धार	(6) सरदार सरोवर परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

**नोट.—**भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग न. घा. वि. प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मनावर, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्र. 1392-वाचक-प्र.क्र.07-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता

पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	जाटपुर	0.514 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 30, मनावर.	ऑकारेश्वर परियोजना की दार्यों तट मुख्य नहर की आर. डी. क्र. 121833 मी. से 122918 मी. तक प्रभावित मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 जुलाई 2010

प्र.क्र. -अ-82-2006-07-1741.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पथरिया	नदरई (चौपरा)	40.31 योग . . 40.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह (म. प्र.)	चौपरा जलाशय (बांध एवं नहर निर्माण)

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी दमोह तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(3) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में एस. डी. ओ. एवं भू-अर्जन अधिकारी दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 27 जुलाई 2010

प्र.क्र. 13-अ-19-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	जूही	निजी 2.49	सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, पवई	कृषि उपज मण्डी समिति, पवई अंतर्गत कृषि उपमण्डी प्रांगण निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) सचिव, कृषि उपज मंडी, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है।					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

छतरपुर, दिनांक 29 जुलाई 2010

प्र.क्र. 7-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	महाराजपुर	ऊजरा	11.257	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नौगांव	छतरपुर-कानपुर मार्ग एन. एच. 86 पर जांच चौकी निर्माण.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—छतरपुर कानपुर मार्ग एन. एच. 86 पर जांच चौकी निर्माण.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, नौगांव में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 8-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	नौगांव	बड़ागांव	10.938	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नौगांव.	नौगांव-झांसी मार्ग एन. एच. 75 पर जांच चौकी निर्माण.
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—नौगांव झांसी मार्ग एन. एच. 75 पर जांच चौकी निर्माण.				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, नौगांव में किया जा सकता है।				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भावना वालिंबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्डौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्डौर, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्र. 2663-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “ए” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं।—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्डौर	सांवर	जाथ्या	1.146	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.	इन्डौर उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण बाबद्.
		योग . .	<u>1.146</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्डौर एवं तहसील सांवर, अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2664-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “ए” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं।—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्डौर	सांवर	सांवर	0.180	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.	इन्डौर उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण बाबद्.
		योग . .	<u>0.180</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्डौर एवं तहसील सांवर, अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राधवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्र. 1158-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 15-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—लोनसरा बुजुर्ग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.818 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
140/1	1.003
140/2	0.425
141/2	0.040
141/3	0.372
158/2	1.112
158/3, 158/4	0.910
158/5, 163/2	0.622
158/8	0.600
158/9	0.789
158/10, 162/2	0.607
159/2	0.421
160	0.372
163/1, 163/3	0.688
183/3, 197/1	0.789
197/3	0.020
197/7	0.048
योग	8.818

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु।

**नोट—** भूमि का नक्शा (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1160-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 16-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—तलवाडा बुजुर्ग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—26.369 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
123	0.190
125	0.942
127/1, 128/4	3.046
127/2, 128/5	2.500
130	0.340
136/1	0.339
140/1	0.898
140/2	0.072
187/5, 187/6,	
187/8, 187/9,	1.436
187/11, 187/12/2,	
187/13/2	

(1)	(2)
187/10, 187/12/1,	
187/13/1, 189/4	0.364
187/15	0.275
189/2, 189/3, 194/1	0.910
189/6, 194/3	1.012
192/2, 193/2	1.384
208/1	0.506
208/2	0.008
209/1	0.242
209/2	0.486
210	0.323
221	0.141
224	0.509
231/1	0.149
231/2	0.704
231/3	0.947
232/4	0.081
232/5	0.566
260/2, 261/3	0.907
262/1	0.101
262/2	0.526
262/7	1.129
263/1	0.809
273/3, 275/2	1.894
275/3	0.675
443	0.728
444/2, 449/3	0.060
445	0.506
449/4	0.664
योग . .	26.369

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1159-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 19-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—सेगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.991 हेक्टर।

खसरा अधिगृहित किया जाने वाला

नंबर क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
90/1	0.344
90/2	0.194
138/3	0.550
140/5	0.406
140/4	0.036
146/3	0.526
146/1/2	0.194
146/4	0.607
146/5	0.065
147/2	0.405
148/3	0.478
148/4	0.186

योग . . 3.991

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान), भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्र. 8927-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—बदनावर
- (ग) ग्राम—मांगल्या
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.271 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
9/2	0.379
10/1ख	0.379
10/9	0.822
127/2	5.059
129/5	0.632
योग .	<u>7.271</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—मांगल्या तालाब निर्माण योजना अन्तर्गत प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—बदनावर
- (ग) ग्राम—रूपाखेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.980 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
------------------	-----------------------------

(1)	(2)
102/1	0.010
103	0.260
104/1	0.060
104/2	0.040
164	0.040
165	0.090
223	0.130
224/1	0.030
225/1	0.130
227	0.180
228	0.150
261	0.010
262	0.060
263/2	0.060
264/1	0.150
264/2	0.130
286/2	0.560
288/1/2	0.130
305/2	0.020
312	0.200
315	0.120
322	0.090
323	0.230
326	0.090
680/2	0.040
682	0.070
687	0.010
688/3	0.010
703/1	0.150
704/2	0.150
705/2	0.010
706	0.040

क्र. 8887-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(1)	(2)	(1)	(2)
707	0.090	389	0.030
709	0.020	394	0.070
710	0.080	395	0.080
711/1	0.010	397	0.040
754/1	0.110	543	0.026
754/2	0.110	544	0.060
754/3	0.110	योग .	<u>0.888</u>
योग .	<u>3.980</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—आसराकुण्ड तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत द्वूष प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 8892-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार  
(ख) तहसील—बदनावर  
(ग) ग्राम—करणपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.888 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	(1)	(हेक्टर में)
(1)	(2)	2329/2	0.030
378/2	0.130	2330	0.110
378/5	0.110	2333	0.070
382	0.046	2443	0.040
383	0.060	2444	0.030
384	0.010	2455/1	0.060
386	0.110	2458	0.120
387	0.020	2460	0.040
388	0.090	2461/1	0.030

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—आसराकुण्ड तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत ढूब प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धारा जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 8897-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
  - (ख) तहसील—बदनावर
  - (ग) ग्राम—तिलगारा
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.797 हेक्टर.

(1)	(2)
2461/2	0.030
2461/3	0.030
2462/1	0.020
2462/2	0.020
2463	0.040
2506/2	0.167
2507	0.090
2509	0.110
2510	0.110
2516	0.110
2544/1	0.150
2545	0.030
2549/1	0.030
2549/2/1	0.120
2549/2/2	0.100
2550/1	0.040
2550/2	0.040
2562/1	0.100
2564	0.070
2567/2	0.070
2569/1	0.070
2569/2	0.070
2570	0.110
2575	0.070
2591/1	0.190
2593	0.120
2600/2	0.130
2832/2	0.030
योग .	2.797

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—आसराकुण्ड तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत ढूब प्रभावित होने से।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

धार, दिनांक 21 जुलाई 2010

क्र. 376-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-010.—संशोधित.—भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-22-अ 82—2008-09.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 125-प्र.क्र.-22-अ-82-08-09, दिनांक 7 अप्रैल 2010 द्वारा ग्राम

झाकरूड़, तहसील धरमपुरी जिला धार का रकबा 10.057 हे कटेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम (सन् 1894 क्रमांक एक) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक पृष्ठ क्रमांक 735 एवं 736, दिनांक 16 अप्रैल 2010 पर तथा दो समाचार-पत्रों क्रमशः राज एक्सप्रेस दिनांक 16 अप्रैल 2010 एवं स्वदेश दिनांक 17-4-2010 के अंक में प्रकाशन हुआ है, जिनका जी-नंबर 11489/10 है। उक्त प्रकाशन त्रुटिपूर्ण हुआ है।

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक के पृ. क्र. 736 पर खसरा क्र. 116/3 का रकबा 0.300 हे कटेयर के स्थान पर 0.030, हे कटेयर समाचार-पत्र राज एक्सप्रेस में खसरा क्र. 409/2 के स्थान पर खसरा क्र. 409/4 तथा खसरा क्र. 298, 299/1 का रकबा 0.100 हे कटेयर के स्थान पर 0.120 हे कटेयर तथा समाचार-पत्र स्वदेश में खसरा क्र. 31/1/1ग का रकबा 0.035 हे कटेयर के स्थान पर 0.050 हे कटेयर प्रकाशित हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश राजपत्र-भाग एक के पृ. क्र. 736 पर खसरा क्र. 116/3 का रकबा 0.030 हे कटेयर के स्थान पर 0.300, हे कटेयर समाचार-पत्र राज एक्सप्रेस में खसरा क्र. 409/4 के स्थान पर खसरा क्र. 409/2 तथा खसरा क्र. 298, 299/1 का रकबा 0.120 हे कटेयर के स्थान पर 0.100 हे कटेयर तथा समाचार-पत्र स्वदेश में खसरा क्र. 31/1/1ग का रकबा 0.050 हे कटेयर के स्थान पर 0.035 हे कटेयर पढ़ा जावें।

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी।

क्र. 386-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-010.—संशोधित.—भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-26-अ 82—2008-09.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 173-भू-अर्जन-स.स.प.-2010 धार, दिनांक 7 अप्रैल 2010 से ग्राम धामनोद तहसील धरमपुरी, जिला धार का रकबा 4.903 हे कटेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 752 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार-पत्रों क्रमशः नव भारत में दिनांक 18 अप्रैल 2010 तथा नई दुनिया में दिनांक 19 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है, जिनका जी नम्बर 11586/10 है जिसमें निमानुसार संशोधन पढ़ा जावें।

पूर्व में प्रकाशित  
खसरा नम्बर

(1)

599/1/1/1

संशोधित प्रविष्टि  
खसरा नम्बर

(2)

499/1/1/1

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी।

क्र. 394-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-010-संशोधित-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 28-अ-82-2008-09.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 185-भू-अर्जन-स.स.प.-2010, धार दिनांक 7 अप्रैल 2010 से ग्राम सुन्द्रेल, तहसील धरमपुरी, जिला धार का रकबा 17.825 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 739-740 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार-पत्रों क्रमशः स्वदेश में दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा नई दुनिया में दिनांक 15 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 11478/10 है जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
794/1	0.120	794/2	0.120

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

क्र. 400-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-010-संशोधित-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 33-अ-82-2008-09.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 155-भू-अर्जन-स.स.प.-2010, धार, दिनांक 7 अप्रैल, 2010 से ग्राम पटलावद, तहसील धरमपुरी, जिला धार, रकबा 11.410 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 743-744 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार-पत्रों क्रमशः स्वदेश में दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा नई दुनिया में दिनांक 15 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 11483/10 है जिसमें स्वदेश एवं नई दुनिया में अनुसूची के सरल 64 के बाद सरल क्रमांक 65 खसरा नम्बर 195/1/2, रकबा 0.035 पढ़ा जावे. इसी प्रकार राजपत्र में खसरा नम्बर 195/1/1, रकबा 0.045 के बाद खसरा नम्बर 195/1/2 रकबा 0.035 पढ़ा जावे.

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

क्र. 380-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-010-संशोधित-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 43-अ-82-2008-09.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 209/धार, दिनांक 7 अप्रैल 2010 से ग्राम दसौडा, तहसील धरमपुरी, जिला धार का रकबा 12.826 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक)

की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 749-750 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार-पत्रों क्रमशः अग्निबाण में दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा स्वदेश में दिनांक 17 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 11482/010 है जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
35/5	0.065	35/3	0.010
35/6		35/8	0.055
202/1	0.010	202/1	विलोपित

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

धार, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्र. 1395-वाचक-प्र. क्र. 2-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—बाकानेर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.099 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
सर्वे नम्बर	(1)	(2)
निजी		
132	0.170	
18/2	0.250	
19/2	0.250	
321/1, 321/2	0.325	
26/6	0.350	
112/1/1	0.079	
121/1, 122	0.448	

(1)	(2)	क्र. 1400—वाचक—प्र. क्र. 3-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—
120/2	0.450	अनुसूची
120/1	0.020	
120/3	0.105	
317/1	0.250	
317/3	0.200	
313	0.225	
320/3	0.075	
320/7	0.210	(1) भूमि का वर्णन—
320/4	0.110	(क) जिला—धार
320/6	0.140	(ख) तहसील—मनावर
65	0.100	(ग) ग्राम—भुवादा
64/1, 64/3	0.260	(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.667 हेक्टर.
320/5	0.075	
64/2, 64/4	0.360	
87/2/3, 81/1/2/3/1 } 87/2/2	0.267	सर्वे नम्बर अर्जित रकबा निजी (हेक्टर में)
63/1/1	0.240	(1) (2)
63/1/2	0.470	15/4 0.050
82/1, 83/1	0.370	17/1/1 0.065
87/1/1क	0.150	17/1/2 0.065
87/1/1ख	0.150	195/1, 195/3 0.625
315/1, 305	0.350	158/4 0.075
145/4	0.250	158/3 0.030
25/1	0.030	17/1/2 0.025
87/2/2/1	0.175	17/3/1ग/1 0.225
891/1/1	0.200	17/3/1ग/2/3, 17/4 0.055
योग . .	<u>7.099</u>	155/1/2 0.300
		155/2 0.010
		154/1 क } 0.140
		154/2 } 0.060
		154/1 ख } 0.060
		154/2 } 0.090
		124/2/1 0.200
		124/1/1/1क 0.200
		121/4/1/1 0.100
		118/1, 119 0.180
		121/1/1 0.200
		121/4/2 0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ऑकरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 122.083 मी. से निकलने वाली डी.एम. 62 एवं 120.85 मी. से निकलने वाली डी.एम. 61 तथा मुख्य नहर का (पूरक) प्रकरण के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

(1)	(2)	(3)
122/1, 121/2/2	0.170	भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।
124/2/2	0.090	
124/1/2	0.100	
125/2, 127/1क	0.230	
129/1, 128/2, 127/1	0.170	क्र. 1405-बाचक-प्र. क्र. 4-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—
130/4/1	0.080	
130/6/1	0.090	
142/1/1, 142/2, 143/1	0.115	
135/8	0.210	
136/1	0.300	
136/2	0.100	अनुसूची
140	0.160	(1) भूमि का वर्णन—
139/2/1	0.110	(क) जिला—धार
149/2	0.325	(ख) तहसील—मनावर
149/1	0.375	(ग) ग्राम—धनखेड़ी
142/1/3	0.050	(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.617 हेक्टर।
139/2/2	0.110	सर्वे नम्बर
151/4	0.260	अर्जित रकमा (हेक्टर में)
153/2/1/1	0.040	(1) (2)
153/2/1/2	0.040	17/1/1 0.055
161	0.110	18/2 0.060
162	0.080	17/15 0.070
163/1	0.110	17/9 0.163
163/2	0.010	17/5 0.105
164	0.225	17/13 0.070
245	0.052	17/6 0.150
269/2	0.020	17/10 0.070
272/1	0.270	17/14 0.070
142/1/2	0.050	17/7 0.205
योग . .	<u>6.667</u>	17/1/3 0.025
		17/8 0.145
		17/12 0.070
		17/11 0.070
		18/2 0.060
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ऑकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118260 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 60 एवं मुख्य नहर का (पूरक) प्रकरण के नहर निर्माण हेतु।	18/3 0.055	
		17/1/2 0.140
		18/4 0.065
		10/1/3 0.220
		85/1 0.085
		85/2 0.077

(1)	(2)	(1)	(2)
85/3	0.057	203/1	0.180
85/4	0.020	203/2	0.190
87/2/2	0.200	203/3	0.120
87/2/1	0.230	203/4	0.150
100/1	0.060		0.302
100/2	0.675	203/5	0.110
113/1/1क	0.565	210/1	0.080
113/2	0.315	210/2	0.230
113/1ख	0.755	209/5	0.480
9/1/4	0.130	232/1	0.110
9/1/5	0.130	232/6	0.571
9/1/7	0.130	232/5	0.020
10/2	0.040	231/2/1	0.144
12/4 } 1	0.120	231/2/2	0.144
29/2 } 1		231/2/3	0.144
30/1 } 1		231/2/4	0.144
12/4 } 2	0.105	231/3/1	0.150
29/2 } 2		231/3/2	0.150
30/1 } 2		231/3/3	0.010
12/3, 30/2, 31/2	0.366	231/1/2क	0.300
12/2 } 3	0.063	296/4	0.030
29/1 } 3		231/1/1ख/1	0.456
12/1 } 1		231/1/1ग	0.145
27 } 1		231/1/ख/2	0.030
28 } 1	0.100	229	0.560
12/2 } 4		228	0.020
29/1 } 4		226/1	0.560
25 }		200	0.280
56/2	0.123	244/2	0.336
56/4	0.123	244/1	0.022
56/1	0.123	244/17	0.190
56/3	0.123	296/1	0.098
57/1	0.050	244/16	0.020
57/2	0.533	296/2	0.098
204/1/6	0.660	244/18	0.135
204/1/5	0.280	296/3	0.098
204/1/4	0.110	289/1/4	0.336
204/1/3	0.110	289/1/5/3	0.024
204/1/1	0.112	289/1/3/2	0.010
204/2	0.515	289/1/5/2	0.094
204/1/2	0.112	243/1/1/1	0.112
204/3/3	0.353	244/13	0.128
204/3/2	0.176		
204/3/1	0.176		

(1)	(2)
225	0.020
226/2	0.316
योग . .	<u>17.617</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ऑकरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 114940 मी. से 117375 मी. तक की मुख्य नहर एवं 115520 मी. से 115660 मी. की मुख्य नहर का (पूरक) एवं डी. ब्लाय. 11 एवं उसकी वितरण शाखाएँ के नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी.एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 18 जून 2010

क्र. 4-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—पिसनारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.10 हेक्टर.

खसरा	रक्का
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
525	0.10
योग . .	<u>0.10</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—राजधानी नहर परियोजना के अन्तर्गत स्पेशन ब्रिज के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा राजधानी नहर परियोजना दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. 12-भू-अर्जन-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
  - (ख) तहसील—बकस्वाहा
  - (ग) नगर/ग्राम—पाली
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—40.064 हेक्टर.
- (1) निजी भूमि—40.064, (2) शास. भूमि—निरंक.

खसरा नम्बर	रक्का (हेक्टर में)
(1)	(2)
1314/2	1.108
1329	0.636
1330	0.551
1331	0.409
1332	0.688
1333	1.173
1337/1/1	0.708
1337/1/2	0.708
1337/2	0.526
1337/3	0.210

(1)	(2)	(1)	(2)
1338	0.324	1403	0.109
1339	1.319	1404	0.113
1340	0.170	1405	0.049
1341	0.534	1409	0.223
1342/1	0.255	1411	0.555
1342/2	0.255	1414	0.219
1342/3	0.251	1415	0.450
1342/4	0.255	1416	0.198
1344	0.438	1417	0.486
1350	0.870	1418	0.454
1355/2	0.186	1419	0.384
1356	0.514	1420	0.490
1358	0.065	1421	0.364
1359	0.202	1422	0.417
1361	1.262	1423	0.745
1363	1.606	1424	0.154
1365	0.648	1425	0.239
1366	1.590	1426	0.372
1367	1.335	1427	0.739
1369/1	0.640	1428	0.138
1370/1	0.502	1429	0.348
1370/2	0.502	1430	0.368
1371	0.129	1431	0.129
1373	0.267	1432	0.360
1374	0.267	1433	0.109
1375	0.119	1434	0.373
1376, 1377/3,		1435	0.210
1386/2, 1387,	0.422	1436	0.182
1388, 1389 }		1437	0.170
1377/1	0.668	1438	0.245
1377/2, 1385	0.190		योग . . 40.064
1378/1	2.023		
1378/2	1.812		
1379	0.081		
1380	0.502		
1381	1.562		
1382	0.279		
1383/1	0.089		
1383/2, 1384/2	0.259		
1384/1	0.648		
1400	0.401		
1401	0.198		
1402	0.316		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पाली तालाब के भराव हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

छतरपुर, दिनांक 24 जुलाई 2010

क्र. 16-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—बकस्वाहा
- (ग) नगर/ग्राम—पाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.016 हेक्टर.
- (1) निजी भूमि—2.016, (2) शास. भूमि—निरंक.

खसरा नम्बर

रकबा  
(हेक्टर में)

(1)	(2)
848	0.024
849	0.152
893	0.048
894	0.016
898	0.028
899	0.064
900/2	0.112
906	0.028
929	0.072
933	0.184
1472	0.248
1473/2	0.104
1474	0.128
1475	0.048
1482	0.120
1509/6	0.240
1509/7	0.280
1509/8	0.120
योग . .	2.016

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पाली तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 18-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—बकस्वाहा
- (ग) नगर/ग्राम—गुगवारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.264 हेक्टर.
- (1) निजी भूमि—1.264, (2) शास. भूमि—निरंक.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1532	0.182
1533	0.231
1535	0.008
1537	0.049
1538	0.223
1539	0.514
1540	0.057
योग . .	1.264

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 20-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—बकस्वाहा

(ग) नगर/ग्राम—महुटा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.354 हेक्टर.  
 (1) निजी भूमि—7.354, (2) शास. भूमि—निरंक.

(ग) नगर/ग्राम—जरा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—19.672 हेक्टर.  
 (1) निजी भूमि—19.672, (2) शास. भूमि—निरंक.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
789	0.267	110	0.036
790/1	0.748	112	0.229
790/2	0.323	113	0.287
790/3	0.283	114	0.028
790/4	0.323	116	1.485
791	0.113	117	0.200
792/1	0.214	126	0.781
792/2	0.214	130	0.200
792/3	0.202	134	0.350
792/4	0.202	135	0.194
793/2	0.405	138	0.858
793/3	0.202	140	0.417
794/1	0.648	141	0.502
794/2	0.648	143	1.084
794/3	0.648	144/1ब	0.159
794/4	0.648	144/1अ	0.158
794/5	0.688	144/2/1	0.079
795	0.578	144/2/2	0.474
योग . .		144/2/3	0.079
		144/3	0.316
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.		145	0.174
(क्र. 25-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		146	0.640
		148	0.227
		149	0.364
(1) भूमि का वर्णन—		150	0.336
(क) जिला—छतरपुर		151	1.296
(ख) तहसील—बकस्वाहा		152	0.178
		153	0.259
		154	1.279
		156	0.344
		157/2, 158	0.632
		159	0.016
अनुसूची		160	0.285
(1) भूमि का वर्णन—		161	0.065
(2) जिला—छतरपुर		162	0.255
(क) तहसील—बकस्वाहा		168	0.648
(ख) ग्राम—बकस्वाहा		170	0.652
		171	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
172	0.503	42	0.001
173	0.441	43	0.002
175	0.393	44	0.004
364	0.999	45	0.001
366	0.061	47	0.001
367/1	0.243	48	0.009
367/2	0.243	54	0.013
367/3	0.283	62	0.020
367/4	0.543	63	0.040
योग . .	<u>19.672</u>	64	0.051
		71	0.014
		74	0.034
		75	0.003
		76	0.003
		77	0.006
		योग . .	<u>0.205</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—जरा तालाब के भराव हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भावना वालिंबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. 4105-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 2-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—जावरा
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम बड़ावटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.205 हेक्टर।

सर्वे नम्बर (1)	रकमा (हेक्टर में) (2)
38	0.002
41	0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हैल-नागदा-धिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपर्युक्त, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4077-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 3-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—जावरा
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम नयापुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.102 हेक्टर।

सर्वे नम्बर (1)	रकमा (हेक्टर में) (2)
8	0.145
13	0.006
14	0.073

(1)	(2)	(1)	(2)
15	0.063	44	0.037
16	0.034	45	0.009
18	0.053	46	0.051
19	0.153	471	0.008
40/2	0.054	47/2	0.008
44	0.012	48	0.010
45	0.049	50	0.063
46/2	0.115	82	0.035
47	0.013	140	0.017
95	0.002	143	0.130
96	0.180	176	0.017
102	0.091	177	0.027
105	0.018	179/1	0.060
106	0.041	189/1/3	0.032
योग . .	<u>1.102</u>	189/1/7	0.041
		189/1/8	0.049
		189/2	0.080
		192	0.087
		193	0.018
		196	0.100
		197/2	0.028
		कुल योग . .	<u>1.038</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हैल-नागदा-धिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4103-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 4-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—जावरा
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम बड़ोदिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.038 हेक्टर.

सर्वे	रक्कबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
8/2	0.080
11	0.051

क्र. 4079-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 5-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—जावरा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम राजाखेडी  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.458 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
18/2	0.063
30/1	0.32
31	0.040
161/1	0.030
161/2	0.028
161/3	0.040
161/4	0.050
164/1	0.050
169/3	0.012
170/1	0.007
175	0.011
193/1	0.010
251/1	0.051
329	0.005
336	0.008
52/342	0.020
164/346	0.001
कुल योग . .	0.458

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम उकेडिया  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.577 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
2/2	0.110
40/1/1	0.019
40/210	0.020
42/1/1	0.006
42/1/2	0.007
42/3	0.013
50	0.040
57/1	0.117
57/2	0.079
57/3	0.001
67/1/1	0.070
67/11	0.080
176	0.015
कुल योग . .	0.577

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हैल-नागदा-धिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.  
 (3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हैल-नागदा-धिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4101-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 6-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रत्लाम  
 (ख) तहसील—जावरा

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रत्लाम  
 (ख) तहसील—जावरा  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम भूतेडा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.41 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
412	0.31
411	0.50
410	0.04

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—ग्राम सेजावता (घ) लगभग क्षेत्रफल—11.895 हेक्टर.	
		सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
		(1)	(2)
402	0.06		
407/1/1	0.01		
408/1/1	0.24		
408/1/2	0.08		
408/1/3	0.15		
408/2	0.21	91/1/1ख	0.475
390	0.01	91/5	0.280
401	0.12	92/1	1.010
396	0.04	92/2	0.050
364	0.02	92/3	0.650
365	0.02	96	0.900
330/1	0.06	97/2	0.210
330/2	0.01	98/2	0.980
687	0.01	104/1	0.220
733	0.01	105	0.400
687	0.01	107	0.320
688	0.01	108	0.270
689	0.01	116	0.180
734/1	0.02	109	0.060
765	0.03	115/2	0.180
768	0.01	118	0.520
793	0.01	119/2	0.450
797	0.02	121	0.210
805	0.14	122/2	0.280
806	0.25	123	0.470
<b>कुल योग . .</b>		<b>2.41</b>	<b>0.200</b>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हैल-नागदा-घिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु	125/1/1	0.300
	125/1/2	0.340
	125/2	0.590
	134/2	0.280
(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है।	374	0.270
	375/1	0.150
	375/2	0.150
	379/1	0.550
	379/2	0.150
	383/1	0.120
	383/2	0.400
	384	0.380
<b>कुल योग . .</b>		<b>11.895</b>

क्र. 4083-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 9-अ-82-2009-10.—चौंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रत्नाम
- (ख) तहसील—जावरा

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हैल-नागदा-घिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु
- (3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4085-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 10-अ-82-2009-  
 10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि  
 नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची  
 के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता  
 है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)  
 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि  
 उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रत्लाम
- (ख) तहसील—जावरा
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम बामनखेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.294 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
68/2	0.730
69/2	0.430
225/2	0.030
226	0.024
227/4	0.300
227/6	0.020
227/2	0.400
227/5	0.450
228	0.190
229	0.440
231	0.060
252/7	0.280
253	0.260
254/2	0.400
256	0.040
257	0.040
259	0.200
कुल योग . .	<u>4.294</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हैल-नागदा-  
 खिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय  
 अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के  
 कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4099-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 11-अ-82-2009-  
 10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि  
 नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची  
 के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता  
 है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)  
 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि  
 उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रत्लाम
- (ख) तहसील—जावरा
- (ग) नगर/ग्राम—कस्बा जावरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—14.939 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
213	0.051
216/1अ	0.320
186	0.038
188/2	0.580
187	0.139
188/1	0.210
192/2	0.090
192/3	0.150
192/4	0.040
194/3	0.080
194/1	0.340
198/1	0.050
163/1 एवं 163/5	0.050
164	0.320
163/3 एवं 163/6	0.250
163/4	0.150
194/2	0.126
166/2	0.025
168/2	0.270

(1)	(2)	(1)	(2)
169/2	0.080	400/3	0.300
170	0.010	405	0.020
171	0.025	408	1.150
172/1	0.070	419/3	0.210
172/2	0.120	424	0.020
245/1	0.400	681/2	1.150
245/2	0.480	682/1	0.130
323/1	0.020	682/2	0.300
328	0.090	682/3	0.350
332	0.020	682/4	0.240
329	0.030	686/2	0.190
330	0.260	686/1	0.210
335	0.180	687/2क	0.050
336	0.030	687/2ख	0.050
249	0.300	687/3	0.030
331	0.170	687/5	0.040
333	0.020	687/7	0.020
334	0.350	697/1/1	0.240
337	0.050	797/1 एवं 29/2	0.350
342	0.240	797/3 एवं 29/1	0.250
344/1	0.020	797/3/घ	0.190
343	0.020	797/3/2 घ	0.190
344/2	0.100	797/3/3 घ	0.190
314/3	0.270	797/5	0.240
314/4	0.400	कुल योग . .	<u>14.939</u>
392	0.443	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हैल-नागदा-धिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.	
393	0.025		
394	0.620		
395	0.420	(3) भूमि का नक्शा व (स्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
397	0.020		
399/3	0.160		
400/5	0.080	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
399/4	0.240	राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 24 जुलाई 2010

प्र. क्र. 08-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—गौरीया खेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —15.048 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमोंक	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
------------------	---

(1)	(2)
82/1	0.100
82/2	0.100
83/3	0.100
100/1	0.100
100/2	0.100
103/2	1.260
111/2	0.200
111/3	0.740
114/1क	0.676
114/1ख	0.290
114/2	0.406
115/1	0.400
115/2	0.100
119/1	0.200
119/2	0.200
122	1.260
123/1क	0.100
123/1ख	0.150

(1) (2)

123/1ग	0.150
123/1घ	0.150
123/2	0.525
123/3	0.525
123/4	0.525
128/2	0.700
129/1	0.400
129/2	0.400
148/1/1	0.400
148/1/2	0.400
150/1	0.600
150/2	0.600
151	0.310
155	0.300
180/4	0.460
180/5/1	0.496
180/5/2	0.248
180/6/1	0.432
180/6/2	0.209
180/7	0.240
180/8	0.496
योग . .	15.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु,

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद

- (ग) ग्राम—खजूरी शमशाबाद  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.975 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.278
28/2	0.140
29	0.209
30/1/2	0.155
30/2/ख	0.050
32/1/2	0.240
32/2	0.350
35	0.250
42	0.803
43	0.300
46	0.050
134	0.150
योग . .	<u>2.975</u>

- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.702 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
		183/2	0.060
		185/1	0.209
		185/2	0.080
		199/1	0.730
		199/2	0.108
		200	0.314
		201	0.060
		261/1	0.200
		264	0.010
		269	0.304
		379/1/ख-2	0.209
		379/2	0.209
		381	0.209
		योग . .	<u>2.702</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु।  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
 (ख) तहसील—शमशाबाद  
 (ग) ग्राम—धोबीखेड़ा

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु।  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 12-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
 (ख) तहसील—शमशाबाद  
 (ग) ग्राम—पिपलधार  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.507 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

344	0.050
-----	-------

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.803 हैक्टेयर.
		सर्वे क्रमांक रकबा (हे. में)
		(1) (2)
353	0.400	
396	0.200	
398	0.050	
399	0.360	140/2 0.392
456	0.390	142 0.850
566	0.384	143 0.209
570	0.327	144 1.672
571	0.274	145 1.012
573	0.210	146/1 0.471
574/1	0.100	146/2 0.470
626	0.418	147 0.668
632	0.728	148 0.850
635/5	0.809	140/1 0.209
731	0.418	
733	0.209	
742	0.160	
747	0.209	
776	0.418	
784/1	1.184	
791	0.209	
1224	0.998	
योग . .	8.507	योग . . 6.803

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 01-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—हींगली जागीर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—सीलखेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—36.834 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	1.171
4	0.890

(1)	(2)	
93	0.620	
102	0.240	
3	0.280	
71	0.660	
72	0.672	
75	1.672	
73	0.627	
74	0.035	
76/1	1.254	
76/2	1.254	
77	1.672	
80	2.090	
81	2.090	
82	1.045	
83	2.090	
84	1.672	
87	0.042	
88	0.418	
89	0.314	
85/2	1.073	
86	1.003	
96/2	1.045	
90	0.680	
94	1.650	
95	1.254	
96/1	1.045	
97	3.793	
98	1.463	
99	1.463	
100	0.270	
101/1	0.190	
101/2	0.627	
118	0.470	
योग . .	<u>36.834</u>	

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—विदिशा	
(ख) तहसील—शमशाबाद	
(ग) ग्राम—नशरतगढ़	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—60.010 हैक्टेयर.	
सर्वे क्रमांक	रकबा
	(हे. में)
(1)	(2)
2/1 ख	0.209
2/1 घ	0.167
3	0.545
19/1	0.857
19/2	1.556
20	1.800
22/1	0.500
22/3	
23/क/2	1.012
23/क/3	0.845
76/1/1	0.489
73/3	0.306
23/1 ख	1.672
23/7	0.418
23/8	0.187
23/1 च/2	0.094
82/2	0.156
52	0.314
61	0.585
84	2.700
86/1	1.489

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य।
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नेटरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

(1)	(2)	(1)	(2)
88/2क/2	1.000	76/2	0.105
88/2ख	4.000	88/1ग/2	0.030
88/3	1.961	95/3ख	0.618
87/2घ	0.824	82/3ग/2	0.046
91/1	0.507	2/1/ग	0.157
91/3	0.314	23/1ग	0.780
91/6	1.620		
91/2	0.627	योग . .	<u>60.010</u>
91/5	1.833	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य.	
91/4	0.021	(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नटरेन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
95/5/2	0.991		
93/1	0.418		
88/3ड/2	0.049		
93/2 मि.	0.052		
93/2 मि.	0.513		
95/1 ख	1.000		
95/1 ग	1.307		
96/1क/2	0.570		
96/1/2 ख	1.000		
96/1/2ग	0.527		
96/1/2घ	0.630		
96/1/2ड	0.630		
96/1/2च	0.731		
96/3	1.000		
96/4	1.100		
97/1	0.407		
97/2	0.899		
97/3	0.773		
95/1क	0.165		
88/1ख	0.060		
95/2	1.236		
82/3 ख	0.165		
88/1ग/1	0.030		
95/3क	0.618		
82/3ग	0.045		
88/1घ	0.144		
95/4	2.959		
82/3घ	0.251		
88/3ड/1	0.048		
95/5/1	0.991		
82/3ड	0.063		
78/7	0.836		
78/6	1.116		
78/5	0.940		
78/4	0.781		
		सर्वे क्रमांक	रकबा
			(हे. में)
		(1)	(2)
		258	0.048
		277/1	0.169
		278	0.010
		योग . .	<u>0.227</u>
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्धवहन सिंचाई योजना के रईजिंग मेन का निर्माण कार्य.	
		(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटरेन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

प्र. क्र. 14-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—रुसल्ली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.299 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमोंक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/2 ग	0.070
1/2 क/2	0.026
1/2 ख/1	0.035
2/2/1	0.164
2/2/2	0.004
योग . .	0.299

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—बरोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.465 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमोंक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
191	0.096
190/1	0.044
190/2	0.028
190/3	0.031
190/7 क	0.028
189/2	0.088
190/4	0.017
190/6	0.033
194	0.100
योग . .	0.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—पाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.919 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
200/1	0.087
201	0.105
207	0.026
208	0.013
212	0.070
213	0.026

(1)	(2)
306	0.035
309	0.230
326/1	0.021
326/2	0.028
328/1/1	0.021
328/1/2	0.159
328/2/1	0.026
328/2/4	0.028
324	0.044
योग . .	<u>0.919</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइंजिंग मेन का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—नशरतगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.415 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3	0.175
16	0.001
6	0.178
8/1क	0.061
योग . .	<u>0.415</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइंजिंग मेन का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—गोलना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.184 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
226/1	0.550
226/2	0.550
226/3	0.550
226/4/1	0.550
226/4/2	0.554
231	2.430
योग . .	<u>5.184</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)	(2)
136/2	0.600
134	0.600
	<hr/>
योग . .	17.098

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—लखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—17.098 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा
(1)	(हे. में)

370	1.600
369/2	0.150
367	0.280
372/2	0.240
372/1	1.000
373	0.510
374	1.800
364	1.300
363	0.100
362/1	0.200
362/2	0.370
362/3	0.370
362/4	0.370
365/1	0.420
343/1	0.450
343/2	0.500
341/2	0.180
344	0.773
352	0.500
345	0.670
346	0.630
140	0.100
144/2/1	0.500
144/2/3	0.300
144/2/2	0.100
139/7	0.300
139/6	0.700
138/1	0.045
144/1	0.100
130/3	0.300
138/2	0.440
136/1	0.600

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य
- (3) भूमि का नवरो (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 25-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—जामनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —11.108 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा
(1)	(हे. में)

159	0.150
158	0.080
157	0.600
160	0.650
183	0.870
180	0.150
182	0.400
191	0.500
192	0.050
193	0.430
196	0.450
197	0.250
211	0.850
212	0.230
352	0.388
231	0.860

(1)	(2)	(1)	(2)
232	0.300	180	0.250
249	0.650	179	0.250
233	0.550	212	0.050
243	0.300	222	0.250
244	0.500	221	0.167
241	0.350	239	0.167
320	0.700	238	0.157
311	0.100	237	0.200
312	0.200	176	0.230
317/1	0.080	174	0.100
317/2	0.070	175	0.366
318	0.100	167	0.160
315	0.300	168	0.042
योग . .	<u>11.108</u>	169	0.350
		170	0.491

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नटरेन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 27-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—विदिशा
  - (ख) तहसील—शमशाबाद
  - (ग) ग्राम—पैरबासा
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल — 12.121 हैक्टेयर।

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. मं.)
(1)	(2)
181/1क	0.500
181/1ख	0.500
181/2क	0.500
181/2ख	0.600
182	0.150

(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नटरेन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।
योग . .	<u>12.121</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शरद चंद्र शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 27 जुलाई 2010

प्र. क्र. 1448-2010-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—सिंगरौली
- (ग) पटवारी हल्का—बलियरी नं. 39
- (घ) ग्राम का नाम—बलियरी
- (ड) लगभग क्षेत्रफल —3.856 हेक्टेयर

खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
70/1/मिन 1	0.203
70/1/मिन 2	0.202
70/2/1	0.810
70/2/2	0.809
70/3	0.278
70/3/2	0.118
70/3/3	0.118
70/3/4	0.314
70/3/5	0.137
70/3/6	0.104
70/3/7	0.105
70/3/8	0.105
70/3/9	0.022
70/3/10	0.023
70/3/11	0.023
70/3/12	0.023
70/3/13	0.023
70/3/14	0.023
70/4	1.214
70/5/मिन 1	0.202
कुल योग . .	3.856

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट विध्युतगढ़ के चतुर्थ चरण के ऐश डाईक निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नवशा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बैठन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 27 जुलाई 2010

प्र. क्र. 15-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—ग्वालियर
- (ग) नगर/ग्राम —अडूपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.95 हेक्टेयर

765/400 के. व्ही. ग्वालियर उपकेन्द्र से सम्बन्धित अतिरिक्त भूमि अर्जन हेतु नए खसरों का विवरण

ग्राम अडूपुरा जागीर, तहसील ग्वालियर, पटवारी हल्का नं. 45, जिला ग्वालियर (म. प्र.)

भू-स्वामी का नाम	खसरा नं./ सर्वे नं.	कुल क्षेत्रफल	आवेदन हेतु
		(हेक्टर में)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2) (3) (4)

मातादीन, भोगीराम पुत्र भरोसा	443 मिन.	0.03	0.03
जाति जाटव पता निवासी ग्राम			
समान भाग अडूपुरा जागीर,			

(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) जगदीश पुत्र चतुरी, रामबेटी, कस्तुरी, पुत्रिया, चतुरी, भाग 1/6.	444 मिन.	0.03	0.03
(ब) मुन्नालाल, कमल, विजय, केदार, नरेश, पुत्रगण बद्री भाग 1/6.			
(क) ठकुरी मोतीराम पुत्र गोले, चतुरो लत्तो, पुत्रिया, गोले भाग 2/3 जा. जाटव अदूपुरा जागीर			
तीतुरिया पुत्र पन्नालाल जा. जाटव, नि. अदूपुरा जागीर.	445 मिन.	0.11	0.11
पोहप सिंह, सरनाम, कालीचरन, 448 मिन. मुलायम, जनक सिंह, दशरथ सिंह, पुत्रगण संतोष सिंह, फुन्दी बेवा संतोष सिंह, जाति कमरिया ठाकुर भाग समान अदूपुरा जागीर.	0.33	0.16	
मीरा पत्नी राजकुमार यादव नि. हुरावली, मुरार.	450 मि.	0.05	0.05
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.	450 मि.	0.05	0.05
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.	450 मि.	0.05	0.05
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.	458	0.36	0.04
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.	475 मि.	0.10	0.04
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.	476 मि.	0.12	0.06
प्रीतम सिंह, अतर सिंह, सुन्दरा, हाकिम सिंह पुत्रगण लक्खा जा. कमरिया नि. अदूपुरा जागिर.	452	0.35	0.05
मनीराम पुत्र रजुआ जा. जाटव ग्राम अदूपुरा जागिर.	474 मिन.	0.14	0.07
राकेश पुत्र मजबूत सिंह, जा. गू. ठा. नि. लखनौती खुर्द. शासकीय जमीन	463 मिन.	0.15	0.09
	439	0.09	0.02
	440	0.20	0.06
	441	0.17	0.09
कुल योग	2.28	0.95	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—765/400 के. बी. उपकेन्द्र निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
मण्डला, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. भू-अर्जन-6(अ-82)2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—मण्डला
- (ग) ग्राम—ग्वारा, प. ह. नं. 13/7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.68 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
----------	--------------------

(1)	(2)
64/2	0.60
64/2क	0.30
64/2ख	0.20
64/2ग	0.24
64/2घ	0.40
64/2ड	0.24
64/2च	0.20
64/2छ	0.18
64/2ज	0.40
69	0.35
70	0.36
71	0.22
72	0.68

(1)	(2)	(1)	(2)	(3)
73	0.30	15/2	2.477	0.303
74	0.75	16/2/1	3.939	0.307
75	0.68	17/2	2.246	0.142
76	0.58	80, 81, 84/2	2.876	0.128
योग . .	<u>6.68</u>	83/1	2.247	0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सुरक्षात्मक कारणों से.		126/24/1	2.833	0.472
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.		126/24/2	3.011	0.108
				<u>23.201</u> <u>1.648</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्र. 01-अ-82-बोदरा-रम्पुरागढ़ी-एवम् मनकापुर-09-10-भू-  
अर्जन-अधिकारी गैरतगंज.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का  
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में  
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक  
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894  
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह  
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये  
आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रायसेन
- (ख) तहसील—गैरतगंज
- (ग) नगर/ग्राम —बोदरा, रम्पुरागढ़ी, मनकापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.181 हेक्टर.

खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)

### ग्राम—बोदरा

13	2.812	0.120
15/1	0.760	0.064

### ग्राम—रम्पुरागढ़ी

31/2, 36/3/2	1.271	0.182
31/2, 36/1/4	1.680	0.182
32	1.019	0.120
33	4.241	0.160
28/29/1	0.894	0.280
40/1	1.214	0.004
28/29/2	3.730	0.024
29/1	3.052	0.240
40/2/1	0.809	0.060
40/2/2	2.073	0.328
59/33/2/2/1	0.301	0.008
59/33/2/2/2	0.020	0.008
59/33/2/1	0.142	0.020
59/33/1	0.486	0.020
योग . .	<u>20.932</u>	<u>1.636</u>

### ग्राम—मनकापुर

140/1	1.353	0.004
140/2/1	3.914	0.385
141/1	1.560	0.222
141/2	1.177	0.202
143/1	0.331	0.024
143/2	0.129	0.004
148/76/1	0.377	0.008
148/76/2	0.113	0.048
योग . .		<u>0.897</u>
कुल योग . .		<u>4.181</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—पटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु.	(1)	(2)	(3)
	156	0.246	0.073
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।	157	1.032	0.335
		योग . .	4.156

क्र. 01-अ-82-बासादेही जलाशय मुख्य-माईनर नहर-09-10-भू-अर्जन-अधिकारी गैरतगंज.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रायसेन
- (ख) तहसील/तालुक—गैरतगंज
- (ग) नगर/ग्राम—बासादेही, पडरियागढ़ी, हिनोतियाखास
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—12.712 हेक्टर।

खसरा	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)

### ग्राम—बासादेही

23/2/1	0.445	0.004	43	1.781	0.170
23/3/1	0.122	0.016	46	0.352	0.057
24/1/1	1.311	0.260	47	0.692	0.048
24/2/1	2.234	0.532	49/1	2.023	0.190
27	1.015	0.284	49/2	2.136	0.194
215/92/2	1.416	0.324	146	0.340	0.049
212/92/1	0.405	0.016	132/1	2.837	0.137
108	1.672	0.165	127/2	0.809	0.060
87/2	2.205	0.186	135, 147/3	0.894	0.152
88/2	2.736	0.216	145	0.409	0.089
88/1, 88/3	3.919	0.200	135, 147/1	0.898	0.152
89/1,	3.245	0.238	135, 147/2	0.898	0.152
172, 173,	0.931	0.129	129, 130, 131	2.775	0.335
174/2				योग . .	3.192
175	0.858	0.145			
177/2	3.645	0.505			
176	0.182	0.145	25	0.178	0.020
139	0.551	0.084	157/1/2	0.728	0.160
162/1	0.721	0.223	166/1/2/1		
162/2	0.628	0.040	168, 169/1/1/2	2.893	0.074
155	0.356	0.036			

### ग्राम—बासादेही, बांड नहर हेतु

215/92/2	1.416	0.272
212/92/1	0.405	0.210
92	0.603	0.109
214/72/1	0.809	0.109
211/62	1.967	0.259
62	1.684	0.263
50/2/2	2.023	0.068
49/1	1.061	0.307
48/1/2/1	1.362	0.279
47	4.776	0.178
217/38	1.768	0.198
38	1.327	0.283
योग . .	2.535	

### ग्राम—पडरियागढ़ी

36,37,38/1	3.000	0.226
36,37,38/2	2.263	0.336
41	3.056	0.012
107	4.375	0.457
48	0.886	0.057
44	1.513	0.319
43	1.781	0.170
46	0.352	0.057
47	0.692	0.048
49/1	2.023	0.190
49/2	2.136	0.194
146	0.340	0.049
132/1	2.837	0.137
127/2	0.809	0.060
135, 147/3	0.894	0.152
145	0.409	0.089
135, 147/1	0.898	0.152
135, 147/2	0.898	0.152
129, 130, 131	2.775	0.335

### ग्राम—हिनोतियाखास

25	0.178	0.020
157/1/2	0.728	0.160
166/1/2/1		
168, 169/1/1/2	2.893	0.074

(1)	(2)	(3)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
166/1/2/1, 168 169/1/1/2 23 24/1 166/1/1/1 171/4 24/2 38 251/178/1 37 27,36/1/1 61 62 157/2/1 159/2 34/1 155 158/1 166/1/1/2 166/1/2/1 167, 169/1/1/2 170/1/1/1 171/3 योग . . महायोग . .	2.957 0.210 0.105 0.478 0.482 0.105 0.198 1.642 0.239 1.564 0.231 0.401 0.405 2.355 4.358 0.594 2.428 0.340 2.521 3.642 1.619 2.829 12.712	0.172 0.110 0.069 0.092 0.060 0.077 0.089 0.046 0.105 0.089 0.004 0.137 0.152 0.160 0.210 0.020 0.390 0.160 0.062 0.250 0.121 2.829 12.712	सागर, दिनांक 12 जुलाई 2010  क्र. 6710- भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—  अनुसूची  (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—सागर (ख) तहसील—देवरी (ग) ग्राम—किशनपुर, प. ह. नं.-68 (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.92 हेक्टर  खसरा नं. में से रकबा (हे. में.) (1) (2) 97 0.20 96 0.09 98 0.02 100 0.18 93 0.25 92 0.07 23/1 0.11 योग . . 0.92

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बासादेही जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—निरन्दपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय, अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.